

प्रदेश की चार कृषि उपजों सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी, बैगानी अरहर, छत्रिय धान को मिला जीआई टैग

भोपाल। प्रदेश में कृषि कल्याण वर्ष के चलते जब किसानों की समृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है मध्य प्रदेश को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। मध्यप्रदेश की चार कृषि उपजों सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी, बैगानी अरहर एवं छत्रिय धान को जीआई टैग मिल गया है। महाकौशल के किसानों ने प्रसन्नता जाहिर की है। इन कृषि उत्पादों को वैश्विक पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए संकल्पित है। उनकी आय दोगुनी करने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। जैविक, प्राकृतिक एवं परंपरागत खेती के संरक्षण एवं संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के मार्गदर्शन एवं मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड के सहयोग तथा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के तकनीकी एवं वैज्ञानिक प्रयासों से प्रदेश की चार विशिष्ट कृषि उपजों-सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी, बैगानी अरहर एवं छत्रिय

अब मिलेगी वैश्विक पहचान, किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए संकल्पित है राज्य सरकार : मुख्यमंत्री

धान—को भौगौलिक संकेतक मिलना एक बड़ी उपलब्धि है। अब इन उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी । जीआई टैग मिलने से इन कृषि उपजों को कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा। उनकी ब्रांड वैल्यू एवं बाजार प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी तथा किसानों को बेहतर मूल्य मिलने के साथ कृषि निर्यात को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

ये चारों कृषि उपजें प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों से संबंधित हैं। इससे विशेष रूप से महाकौशल क्षेत्र के किसानों को व्यापक लाभ मिलेगा। इन उत्पादों की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मांग बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि होगी, क्षेत्र की पारंपरिक कृषि पद्धतियों एवं जैव-विविधता का संरक्षण होगा तथा कृषि आधारित प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं निर्यात को गति मिलेगी।

पूर्व सीहोर शरबती गेहूं एवं रीवा सुन्दरजा आम को जीआई टैग दिलाने में किसान कल्याण विभाग एवं



मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

सिताही कुटकी- सिताही कुटकी एक कम अवधि

(60 दिन) वाली ‘लिटिल मिलेट’ (छोटी बाजरा) की देशी किस्म है। यह वर्षा-आधारित क्षेत्रों और ढेर से बुवाई की स्थितियों के लिए उपयुक्त है। यह सुखे की मार, नमी की कमी, और प्रमुख कीटों (शूट फ्लाई), ‘ग्रेन स्मट’ व ‘ब्राउन स्पॉट’ जैसी बीमारियों का सामना करने में सक्षम है। इस प्रकार, यह किसानों को एक स्थिर पैदावार दिलाने में मददगार साबित होती है। सिताही कुटकी की मध्यम ऊँचाई और मोटे तने के कारण फसल के गिरने की समस्या नहीं रहती। इसे पहाड़ी, ऊबड़-खाबड़ तथा कमजोर मिट्टी वाली स्थितियों में भी उगाया जा सकता है। डिण्डोरी के ‘बैगा’ तथा ‘गोंड’ जनजातियों के किसानों के लिए अच्छी आय दे सकती है। डिंडोरी में ‘सिताही कुटकी’ की खेती की 10,395 हेक्टेयर क्षेत्र में बढ़ोतरी और 10-11 किंवटल प्रति

हेक्टेयर की स्थिर पैदावार से इस क्षेत्र में लोगों की आजीविका, भोजन और पोषण सुरक्षा में मदद मिली है। जनजातीय जिलों के लगभग 60,000 आदिवासी किसान-खासकर डिंडोरी, मंडला, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, शहडोल, उमरिया, बालाघाट और जबलपुर के कुछ हिस्सों के किसान पैदावार बढ़ाकर आर्थिक ले सकते हैं। डिंडोरी के पहाड़ी और मुश्किल इलाकों के 54 गाँवों के किसानों को मुनाफा हुआ है। इन इलाकों में दूसरी रबी फ़सलों की खेती नहीं होती।

नागदमन कुटकी- नागदमन कुटकी डिंडोरी जिले में उगाई जाने वाली कुटकी की एक विशिष्ट स्थानीय किस्म है। यह अपने औषधीय गुणों और उच्च पोषण मूल्य के लिए जानी जाती है।

बैगनी अरहर दरअसल अरहर की विशेष किस्म है। इसमें पौधे या फलियों पर बेंगनी रंग की झलक होती है। इसमें भरपूर प्रोटीन होता है। रोगों से लड़ने की जबरदस्त क्षमता होती है। अच्छी देखभाल होने पर 15 से 20 किंवटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन हो सकता है।

संक्षिप्त सनाचार

लंदन में पढ़ाई के लिए गए भारतीय छात्र की मौत

- कुछ घंटे पहले ही बर्थडे पार्टी में हुआ था शामिल

लंदन (एजेंसी)। ब्रिटेन में पढ़ाई के लिए गए 25 साल के भारतीय छात्र की मौत हो गई है। तेलंगाना के एस श्रीनाथ रेड्डी इस हफ्ते की शुरुआत में एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने गए थे। उसके अगले ही



संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। श्रीनाथ के परिवार ने बताया कि वे 14 महीने पहले उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए थे। परिवार ने शव वापस

लाने के लिए सरकार से मदद मांगी है। श्रीनाथ रेड्डी तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के तालमडला गांव के रहने वाले थे। श्रीनाथ रेड्डी के पिता मधुसूदन रेड्डी ने शनिवार को पत्रकारों को बताया कि उनका बेटा 14 महीने पहले लंदन गया था। श्रीनाथ लीसेस्टर की डी मोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे थे।

बिहार के लिए बना पन्द्रह हजार करोड़ का रोड प्लान

- 8600 करोड़ से चमकेगा राम-जानकी मार्ग, बेतिया-समस्तीपुर की भी लॉटरी

पटना (एजेंसी)। बिहार में सड़क कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को एक नया विस्तार मिलने जा रहा है। सम्राट सरकार ने केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को 15



हजार करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न सड़क परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मंजूरी के लिए भेजी है, जबकि कुछ अन्य प्रस्ताव जल्द ही भेजे जाएंगे। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल के अनुसार, दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही इन सभी बड़ी परियोजनाओं पर धरातल पर काम शुरू हो जाएगा। इन योजनाओं के पूरा होने से न सिर्फ अंतर-जिला कनेक्टिविटी मजबूत होगी, बल्कि कई प्रमुख शहरों को भीषण ट्राफिक जाम से मुक्ति मिलेगी।

राम मंदिर की तर्ज पर कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन चलाओ

- सपा प्रमुख अखिलेश को सीएम योगी की चुनौती, जमकर सुनाया

हाथरस (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को हाथरस के सलेमुर औद्योगिक क्षेत्र पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था। वह कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएंगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे, आपने तो अपना इतिहास देखिए राम भवतों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी। सीएम योगी ने कहा कि भूल जाओ, आपने तो थानों में और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी रोक दिया था।

सिया-चेतन के सामने केतन मर्डर का सीन रीक्रिएट

पुलिस दोनों को लोहगढ़ किले ले गई, दीवार से डमी गिराकर देखा



चेतन ने की थी अपनी पहचान छिपाने की कोशिश

पुलिस ने कहा- दोनों ने गुगल पर डेथ पॉइंट और जहर देकर कैसे मारे, ताकि पुलिस को शक न हो जैसे सवाल सच किए। पकड़े जाने पर पुलिस के सवालों के क्या जवाब देने हैं, यह भी खोजा। कौन-कौन से वॉट्सएप मैसेज डिलीट करना है, यह भी सच किया था। पुलिस ने बताया कि चेतन ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मर्डर के दिन अपना मोबाइल एक दुकान पर छोड़ दिया था।

सिया-चेतन का नया वीडियो

सिया और चेतन का नया वीडियो सामने आया। इसमें दोनों महाराष्ट्र क्रिकेट लीग का मैच देखते नजर आ रहे हैं। हालांकि, यह वीडियो कब का है, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। वहीं, पुलिस की पूछताछ में सिया के भाई साहिल ने खुलासा किया कि सिया-चेतन की मुलाकात क्रिकेट मैच के दौरान हुई थी। इसके बाद एक दोस्त के घर दिवाली की पूजा में भी दोनों मिले थे। साहिल भी चेतन को जानता है। दरअसल, सिया और केतन 18 जून को पुणे के लोहगढ़ किले पर घूमने गए थे। इसी दौरान केतन की खाई में गिरने से मौत हुई थी। सिया पर बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मंगेतर की हत्या का आरोप है। दोनों पुलिस हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है।

पाकिस्तान के पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर पर आतंकी हमला

कराची में 4 सुरक्षाकर्मियों और 6 आतकियों की मौत



कराची (एजेंसी)। पाकिस्तान के कराची में शनिवार रात आतंकियों ने सिंध रेंजर्स के पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। हमला रात करीब 8.30 बजे गुलिस्तान-ए-जौहर इलाके में हुआ। इसमें चार रेंजर्स की मौत हो गई। जवाबी कार्रवाई में छह आतंकी मारे गए, जबकि एक आतंकी को घायल हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। एजेंसी के मुताबिक, आतंकी गाड़ी से मैन गेट तोड़ते हुए परिसर में घुसे।

इसके बाद उन्होंने हैंड ग्रेनेड फेंके और फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कई धमाके हुए। करीब 90 मिनट तक चली मुठभेड़ के बाद स्पेशल सिक्वोरिटी यूनिट, एंटी टेररिस्ट फोर्स और रेंजर्स ने सभी हमलावरों को काबू कर लिया।

इलाके की घेराबंदी, लोगों को घरों में रहने की सलाह

हमले के बाद पूरे परिसर और आसपास के इलाके की घेराबंदी कर दी गई। आसपास की सड़कों बंद कर दी गई और लोगों को घरों के भीतर रहने की सलाह दी गई। ऑपरेशन के दौरान आसपास के कुछ इलाकों में बिजली भी बाधित रही।

पीएम मोदी बोले-योग में भारत ने 114 पदक जीते

समुद्र से आकाश तक भारत हर तरह से सुरक्षित

नई दिल्ली (एजेंसी)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के 135वें एपिसोड में कहा, भारत समुद्र से लेकर आसमान तक सुरक्षित है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। पीएम मोदी ने कहा- जून के महीने में ही देश ने विमानन क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। मेड इन इंडिया अभियान के



तहत तैयार किए गए सी-295 विमान ने अपनी पहली सफल उड़ान पूरी कर ली है। वर्तमान में ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। पीएम ने कहा कि इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के कई कार्यक्रम हुए। भारत ने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैम्पियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 114 मेडल जीते हैं।

मन की बात में नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों का जिक्र

शादी के लिए सोना रीसाइकल कर रहे लोग पीएम मोदी ने कहा कि मैंने बीते दिनों लोगों से कुछ समय तक सोना ना खरीदने, विदेश यात्रा टालने या कार पुलिंग की अपील की थी मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि उसमें सहयोग कर रहे हैं। कई परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में सोना नहीं खरीदेंगे। जरूरत हुई तो वे पुराने सोने को ही रिसाइकल करेंगे।



उपचुनाव से ठीक पहले स्टालिन को झटका

चेन्नई (एजेंसी)। वाइको के नेतृत्व वाली मरुमलाचीं द्रविड़ मुनेत्र कषम (एमडीएमके) ने शनिवार को द्रमुक नीत सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस (एसपीए) से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। पार्टी ने आरोप लगाया कि द्रमुक ने विधानसभा चुनाव के बाद अन्नाद्रमुक की सरकार बनवाने की कोशिश की, जिससे गठबंधन की वैचारिक प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े हो गए। एमडीएमके प्रमुख वाइको ने कहा कि उनकी पार्टी अब विधानसभा उपचुनावों में सत्तारूढ़ टीवीके का समर्थन करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि निकाय चुनावों में भी पार्टी टीवीके के साथ गठबंधन को मजबूत करने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा, सरकार अच्छे काम करेगी तो हम उसकी सराहना करेंगे और गलतियों पर सवाल भी उठाएंगे। वाइको ने द्रमुक पर 2026 के विधानसभा चुनाव में एमडीएमके उम्मीदवारों को द्रमुक के उगते सूरज चुनाव चिह्न पर लड़ने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि अन्य सहयोगी दलों-वीसीके, आइयूएमएल और वामपंथी दलों-पर ऐसी कोई शर्त नहीं थी। उन्होंने सवाल किया कि क्या इस तरह की राजनीति स्वस्थ कही जा सकती है। एमडीएमके की सामान्य परिषद ने पारित प्रस्ताव में आरोप लगाया कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद पदों के पीछे ऐसी राजनीतिक कवायद हुई, जिसका उद्देश्य अन्नाद्रमुक की सरकार बनवाना था।

टीएमसी बागी गुट की 47 पूर्व पार्षदों के साथ बैठक

ममता गुट ने शिकायत दर्ज कराई, कहा-पार्टी के नाम-सिंबल का गलत इस्तेमाल हुआ



दोनों गुटों ने रैली की अनुमति मांगी

21 जुलाई को शहीद दिवस पर होने वाली रैली के लिए ममता बनर्जी गुट और बागी गुट, दोनों ने कोलकाता के धर्मतला में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति मांगी है। ममता गुट का कहना है कि वह पिछले 33 वर्षों से वहीं रैली करता आ रहा है। वहीं, बागी गुट ने भी उसी जगह रैली करने के लिए आवेदन देने की बात कही है। हालांकि, अनुमति नहीं मिलने पर उसने वैकल्पिक स्थान पर कार्यक्रम करने का संकेत दिया है।

बागी विधायक संदीपन साहा ने कहा कि उनकी ही असली तृणमूल कांग्रेस है। हमारे पास पर्याप्त संख्या है। हम विधानसभा में प्रमुख विपक्ष हैं। साहा ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यसमिति का गठन हो चुका है और जल्द ही राजनीतिक कार्यक्रमों की घोषणा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में कोलकाता नगर निगम चुनाव की तैयारी पर चर्चा हुई। इस साल दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं।

बागी गुट बोला- हम ही असली टीएमसी

दरअसल, 8 जून को कोलकाता नगर निगम का बोर्ड भंग कर दिया गया था। इसके बाद सभी पार्षदों, चेयरपर्सन और मेयर-इन-काउंसिल के सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो गया। प्रशासनिक जिम्मेदारी प्रशासक को सौंप दी गई।

महुआ मोइत्रा बोलीं- जनादेश ममता के साथ

TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि पार्टी का सिंबल और जनसमर्थन ममता बनर्जी के नेतृत्व से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि कुछ विधायक, सांसद या पार्षद पार्टी छोड़ दें, इससे जनादेश नहीं बदलता। टीएमसी के बागी गुट के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने 22 जून को टीएमसी की पैरलल वर्किंग कमिटी का ऐलान किया था। विधायक अरूप रॉय अध्यक्ष चुना गया। बागी गुट ने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे का भी ऐलान किया था। पूर्व मंत्री अरूप बिस्वास, फिरहाद हकीम, रंथिन घोष और सबीना यास्मीन को वाइस-चेयरमैन बनाया गया। जबकि ऋतब्रत बनर्जी, जावेद खान और संदीपन साहा जनरल सेक्रेटरी बने। विधायक अखरूज्जमान अंसारी को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऋतब्रत ने दावा किया कि यह पूरा अधिवेशन पार्टी संविधान के अनुरूप आयोजित किया गया।

पेंशनरों द्वारा सरकारी रवैया की कड़ी निंदा

भोपाल। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन भोपाल जिले के अध्यक्ष सुरेश शर्मा के नेतृत्व में 28 जून को हुई बैठक में जिले से बड़ी संख्या में पेंशनर शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गणेश दत्त जोशी एवं प्रदेश अध्यक्ष सक्सेना की अध्यक्षता में राजेंद्र बिरोले की संगीतमय प्रस्तुति के साथ बैठक प्रारंभ की गई। विशेष अतिथि बी के गोयल थे।

प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने बताया कि महंगाई राहत की अवाधि में कटौती, वेतनमानों के बकाया राशि के भुगतान, पेंशन कल्याण मंडल के पुनर्गठन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं देना व अन्य लंबित समस्याओं के निराकरण में सरकार की उदासीनता पूर्ण निष्क्रियता से प्रदेश के पेंशनरों में व्यापक असंतोष व्याप्त है।

भोपाल जिले के अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने सरकार से पुनः आग्रह किया है कि वह पेंशनरों के सम्मान, सामाजिक सुरक्षा एवं संवैधानिक समानता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए पेंशनरों की लंबित समस्याओं के निराकरण हेतु तत्काल सकारात्मक निर्णय ले।

बैठक में नवनियुक्त प्रांतीय उपाध्यक्ष शैलेंद्र श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव शकुंतला वर्मा, संगीता श्रीवास्तव एवं हाल ही में सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया। मंच संचालन प्रांतीय उपाध्यक्ष संतोष ठाकुर ने किया। बैठक में वक्ताओं ने सरकार की पेंशनरों के प्रति उदासीनतापूर्ण रवैए की कड़े शब्दों में निंदा कर कहा यदि सरकार पेंशनरों की लंबित मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं करती है तो पेंशनर लोकतांत्रिक तरीके से अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए प्रांतव्यापी संघर्ष करेंगे।

टिवशा केस की आरोपी गिरिबाला के घर चोरी का प्रयास

जेवर और अहम दस्तावेजों की फाइल लेकर भागने की कोशिश; दो सदिग्ध हिरासत में

भोपाल। भोपाल में टिवशा शर्मा की सदिग्ध मौत के मामले में नया मोड़ आया है। मामले की आरोपी रिटायर्ड जज गिरिबाला के घर शनिवार देर रात चोरी की कोशिश हुई। बदमाश घर से सोने के जेवरात और गिरिबाला व समर्थ सिंह से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों की एक फाइल लेकर फरार होने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि पुलिस की सक्रियता के चलते वे सामान छोड़कर भाग निकले। घर से चोरी और माल की जब्ती की पुष्टि एसीपी रजनीश कश्यप ने की है। जानकारी के अनुसार, घटना के समय गिरिबाला के भाई घर में मौजूद थे। शनिवार-रविवार की दमियानी रात बदमाश पिछले हिस्से से घर में दाखिल हुए, इसलिए उन्हें चोरी की भनक तक नहीं लगी। इसी दौरान इलाके में गश्त कर रहे चाली पुलिस जवान घर के बाहर पहुंचे और सायरन बजाया। सायरन की आवाज सुनते ही बदमाश घबरा गए और चोरी किया सामान मौके पर ही छोड़कर भाग निकले। पुलिसकर्मियों ने आरोपियों को भागते हुए देखा और उनका पीछा भी किया। लेकिन वह चकमा देने में कामयाब रहे।

मौके पर मिला चोरी गया सामान

पुलिस ने मौके से सोने के जेवरात और महत्वपूर्ण दस्तावेजों वाली फाइल बरामद कर अपने कब्जे में ले ली है। घटना के बाद इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस को कुछ सदिग्ध गतिविधियां भी नजर आई हैं। मामले में पुलिस ने रविवार को दो सदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि चोरी का उद्देश्य केवल जेवरात था या फिर टिवशा शर्मा मौत मामले से जुड़े दस्तावेजों को निशाना बनाया गया था। फिलहाल पुलिस इस एंगल सहित सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है।

जांच में यह भी होगा अहम सवाल

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि चोरी केवल नकदी और जेवरात के लिए की गई थी या फिर टिवशा शर्मा मौत मामले से जुड़े दस्तावेजों को निशाना बनाने की मंशा थी। सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक साक्ष्य और सदिग्धों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जबलपुर में हिंदू नाम से डॉक्टरों कर रहा था मुस्लिम युवक

फर्जी पहचान से अस्पताल में नौकरी, तीन युवतियों को फंसाया

भोपाल। जबलपुर के मदन महल थाना क्षेत्र में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू बताकर न सिर्फ एक निजी अस्पताल में डेंटल डॉक्टर के रूप में काम किया, बल्कि तीन युवतियों को भी अपनी फर्जी पहचान के जाल में फंसाया। आरोपी युवक का असली नाम सैयद इसाक असरार है, जो अस्पताल में 'राजकुमार' नाम से काम कर रहा था। स्थानीय हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोपी को फकड़कर मदन महल थाने के हवाले किया, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गहन जांच शुरू कर दी है। घटनाक्रम के अनुसार, आरोपी सैयद इसाक असरार ने फर्जी नाम से पहचान पत्र



भी तैयार करवा रखे थे। मदन महल थाना प्रभारी धीरज राज ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के पास से दो अलग-अलग नामों के पहचान पत्र जब्त किए हैं। अस्पताल प्रबंधन से आरोपी के शैक्षणिक और अन्य जरूरी दस्तावेज मांगे गए हैं ताकि उसकी डॉक्टरी की डिग्री की सत्यता जांची जा सके। इसी बीच, कोलकाता की रहने वाली एक पीड़िता ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है कि आरोपी ने खुद को हिंदू बताकर और पहली पत्नी से तलाक की बात कहकर उससे गायत्री मंदिर में शादी की थी, और बाद में एक अन्य युवती के चक्कर में उसे छोड़ दिया। इस मामले ने इलाके में प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फर्जी पहचान के सहारे निजी अस्पतालों में नौकरी मिलना और सामाजिक स्तर पर शादियां करना स्थानीय सुरक्षा तंत्र के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। पीड़िता द्वारा कोलकाता में जीरो के तहत दर्ज कराई गई एफआईआर जबलपुर पुलिस को मिलने वाली है, जिसके बाद पुलिस धोखाधड़ी और पहचान छुपाने की अन्य धाराओं के तहत नया मुकदमा दर्ज करेगी। जबलपुर में 'राजकुमार' नाम से डेंटल डॉक्टर बनकर रह रहे सैयद इसाक असरार का भंडाफोड़ तब हुआ जब उसकी प्रताड़ना से तंग आकर कोलकाता की एक पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की। आरोपी ने अपनी पहचान छुपाकर तीन युवतियों को धोखे में रखा और फर्जी पहचान पत्रों का सहारा लेकर अस्पतालों में नौकरी हासिल की थी।

राजधाम

मन की बात में गूंजी ब्यावरा की पर्यावरण क्रांति

कचरे से सृजन की मिसाल, जनभागीदारी से जन आंदोलन तक



भोपाल। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम 'मन की बात' के 135वें संस्करण का रविवार को रेडियो से प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैतुल जिले के हिल स्टेशन ग्राम कुकरू में ग्रामीणों एवं जन प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री श्री मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर

जनजातीय मामलों के केंद्रीय राज्यमंत्री श्री दुर्गादास उड्डेक, वरिष्ठ विधायक एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल, भैंसदेही के विधायक श्री महेंद्र केशर सिंह चौहान, जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉ. मोहन नागर एवं बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणजन उपस्थित थे। मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर के लिए रविवार को तब गौरव और सम्मान क्षण रहा, जब प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 'मन की बात' में ब्यावरा में चल रहे 'प्लास्टिक मुक्त अभियान' का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ब्यावरा की बहनों एवं पर्यावरण प्रेमी संस्थाओं द्वारा सामाजिक सरोकार से जुड़े इस अनुकरणीय प्रयास के लिए मुक्त कंठ से सभी की सराहना की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अभियान को 'जनभागीदारी से सामाजिक परिवर्तन' और 'वेस्ट टू वेल्थ' का उत्कृष्ट उदाहरण बताते हुए इसे पूरे देश के लिए

प्रेरणादायी बताया।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 'मन की बात' में कहा कि उन्हें राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला, जिन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। उन्होंने किसी और के साथ देने और किसी बदलाव का इंतजार नहीं किया,

बहनों ने प्लास्टिक कचरे को बनाया विकास का आधार, तारीफ

बल्कि स्वयं आगे बढ़कर पूरे शहर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलों को एकत्र करना शुरू किया। देखते ही देखते यह पहल एक जन-आंदोलन बन गई। एकत्रित प्लास्टिक्स का पुनर्चक्रण (रि-सायकल) कर उसका उपयोग शहर के सार्वजनिक स्थानों को और भी सुंदर बनाने में किया जा रहा है। बीते कुछ महीनों के दौरान यहां सैकड़ों किलो प्लास्टिक का पुनर्चक्रण कर उसका बेहतर उपयोग किया गया है, जो प्लास्टिक कभी शहर में प्रदूषण फैलाता था, वहीं आज इन बहनों के प्रयासों से शहर की सुंदरता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ब्यावरा की सभी

बहनों तथा इस अभियान से जुड़े सभी साथियों को उनके सामाजिक और प्रेरणादायक कार्य के लिए बधाई और शुभकामनाएं भी दीं। प्रधानमंत्री द्वारा 'मन की बात' जैसे राष्ट्रीय मंच पर ब्यावरा में चल रहे अभियान का उल्लेख पूरे राजगढ़ जिले और मध्यप्रदेश के लिए गर्व का क्षण है। यह उपलब्धि बताती है कि जब समाज

स्वयं परिवर्तन का संकल्प लेता है, तब एक छोटा-सा प्रयास भी राष्ट्रीय पहचान बन जाता है और पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने उद्बोधन में मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की उन सभी बहनों की सराहना की, जो प्लास्टिक कचरे को रिसाइकल कर इको-ब्रिक्स तैयार कर रही हैं। यह सराहनीय पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ ही महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरणादायी उदाहरण भी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आगामी गणेश महोत्सव में देशवासियों से मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाएं लेने का आग्रह भी किया है, जिससे हमारी आस्था के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी और सशक्त हो।

रातापानी टाइगर रिजर्व में दिखा दुर्लभ लेसर एडजुटेंट स्टॉर्क

सफारी के दौरान गाइड ने कैमरे में कैद की खूबसूरत तस्वीर

भोपाल। रातापानी टाइगर रिजर्व से वन्यजीव प्रेमियों और पक्षी विशेषज्ञों के लिए एक बेहद उत्साहजनक खबर सामने आई है। रिजर्व के झिरी पर्यटन क्षेत्र में शनिवार सुबह नियमित सफारी के दौरान एक अत्यंत दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजाति के पक्षी 'लेसर एडजुटेंट स्टॉर्क' के दीदार हुए हैं। इस दुर्लभ पक्षी को केरी महादेव क्षेत्र के समीप शांत वातावरण में विचरण करते हुए देखा गया, जिससे बर्ड वॉचर्स के बीच उत्सुकता काफी बढ़ गई है। शनिवार की सुबह जब पर्यटक सफारी का लुफ्त उठा रहे थे, तभी रातापानी जंगल लॉज के वरिष्ठ गाइड एवं चालक इमरान मोहम्मद खान की नजर इस अनोखे पक्षी पर पड़ी। उन्होंने बिना देर किए इस बेहद सुंदर और स्पष्ट जीव की क्लोज-अप तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर ली। भारतीय उपमहाद्वीप में लेसर एडजुटेंट स्टॉर्क को वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है।

रातापानी के बेहतर होते पर्यावरण का प्रमाण

वन्यजीव विशेषज्ञों के मुताबिक, लेसर एडजुटेंट स्टॉर्क जैसी प्रजातियां केवल वहीं अपना बसेरा बनाती हैं जहां मानवीय दखल कम हो और शिकार के लिए पर्याप्त जलीय जीव मौजूद हों। रातापानी पार्क प्रबंधन का मानना है कि इस पक्षी का यहां दिखना इस बात की पुष्टि करता है कि रिजर्व का जमीनी इकोसिस्टम लगातार मजबूत हो रहा है। आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में बर्ड वॉचिंग टूरिज्म को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे स्थानीय गाइडों और सफारी संचालकों को भी फायदा होगा।



आमतौर पर बर्ड फोटोग्राफर और विशेषज्ञ इस प्रजाति को देखने के लिए असम के काजीरंगा, मानस, उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट या राजस्थान के केवलादेव पक्षी अभयारण्य का रुख करते हैं, लेकिन अब इसका भोपाल के पास दिखना बड़ी उपलब्धि है।

विद्या भारती की दो प्रांतीय समितियों की नवीन कार्यकारिणी निर्वाचित

विद्या भारती मध्यभारत प्रांत की वार्षिक साधारण सभा संपन्न

भोपाल। विद्या भारती मध्यभारत प्रांत की वार्षिक साधारण सभा रविवार को सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान हर्षवर्धन नगर में आयोजित हुई। इसमें सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान, मध्यप्रदेश एवं ग्राम भारती शिक्षा समिति की त्रैवार्षिक निर्वाचन प्रक्रिया भी सफलतापूर्वक संपन्न की गई। सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान, मध्यप्रदेश के अध्यक्ष पद पर मोहनलाल गुप्ता एवं ग्राम भारती शिक्षा समिति अध्यक्ष महेंद्र सिंह रघुवंशी निर्वाचित हुए हैं। निर्वाचन अधिकारी प्रकाश धनगर, सह मंत्री, विद्या भारती मध्यक्षेत्र एवं संजय पटवा, कोषाध्यक्ष, विद्या भारती मध्यक्षेत्र के मार्गदर्शन में आमसहमति से निर्विरोध निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई।

दिविजय सिंह चौहान प्रादेशिक सचिव निर्वाचित- सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान, मध्यप्रदेश के प्रादेशिक सचिव पद पर श्री दिविजय सिंह चौहान निर्वाचित हुए हैं। उपाध्यक्ष पद पर डॉ. शिरोमणि दुबे, डॉ. आशीष जोशी, श्रीमती सरिता पटेल तथा कोषाध्यक्ष पद पर मुकेश राजपूत निर्वाचित



हुए। सहसचिव श्रीमती रश्मि रघुवंशी, चन्द्रकान्त त्रिपाठी एवं संदीप केकरे चुने गए हैं। समिति के सदस्य राजेश शुक्ला, कुंजबिहारी चतुर्वेदी, विवेक वर्मा, श्रीमती पूजा उदासी, अंकित अग्रवाल, मूलचंद कुमारी चुने गए हैं। पदेन सदस्य प्रांत संगठन मंत्री निखिलेश महेश्वरी, सह संगठन मंत्री अनिल अग्रवाल एवं प्रांत प्रमुख रामकुमार भावसार होंगे।विशेष आमंत्रित सदस्य दीपक चन्देवा, प्रो. नीलाभ तिवारी एवं

डॉ. रामनिवास गुप्ता को बनाया गया है।

ग्राम भारती के सचिव चुने गए गोविन्द प्रसाद कारपेन्टर- ग्राम भारती शिक्षा समिति के सचिव पद पर गोविंद कारपेंटर को चुना गया है। उपाध्यक्ष अशोक कुमारी चुने गए हैं। बबिता मिश्रा, वीरेन्द्र सिंह तथा कोषाध्यक्ष भगवतशरण सहाय निर्वाचित हुए। सहसचिव अनिरुद्ध तंवर सहसचिव श्रीमती हेमलता राणा, मनोज दिवालिया कोषाध्यक्ष भगवतशरण सहाय निर्वाचित हुए

हैं। सदस्य सुजीत शर्मा, मनमोहन विश्वकर्मा, मुस्लीधर धर्मवाणी, श्रीमती रेखा भदौरिया, हरनामसिंह रघुवंशी, कुंवर सिंह मरकाम पदेन सदस्य पदेन सदस्य प्रांत संगठन मंत्री निखिलेश महेश्वरी, सह संगठन मंत्री अनिल अग्रवाल एवं प्रांत प्रमुख चंद्रहंस पाठक होंगे।

विशेष आमंत्रित सदस्य रामदयाल लहरपुरे एवं इन्द्रसिंह परमार चुने गए हैं। दोनों समितियों के सदस्यों, पदेन सदस्यों एवं विशेष आमंत्रित सदस्यों की भी घोषणा की गई।

आखिर क्या है यह अभियान

ब्यावरा की पर्यावरण प्रेमी संस्था के संयोजक श्री अनिल कुशवाहा के नेतृत्व में पिछले कई महीनों से नगर में घर-घर से निकलने वाली सिंगल यूज प्लास्टिक एवं पॉलीथिन को एकत्र कर इको ब्रिक्स तैयार किए जा रहे हैं। इन इको ब्रिक्स से पाकों एवं सार्वजनिक स्थलों के लिए बेंच, सजावटी संरचनाएं, गार्डन फर्नीचर तथा अन्य उपयोगी सामग्री निर्मित की जा रही है। यह पहल 'वेस्ट टू वेल्थ' की अवधारणा को साकार कर 'प्लास्टिक कचरे को बहुउपयोगी संसाधन' में बदल रही है। उन्होंने बताया



कि अभियान की सबसे बड़ी ताकत जन सहभागिता है। यहां शहर की सभी गृहिणियां अपने घरों से निकलने वाली पॉलीथीन अलग से एकत्र कर रही हैं, व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों का प्लास्टिक इस संस्था को सौंप रहे हैं और शहर के युवा समय निकालकर प्रतिदिन पर्यावरण संरक्षण के इस मिशन से जुड़ रहे हैं। संस्था द्वारा नगर में प्लास्टिक बैंक एवं बोतल बैंक स्थापित किए गए हैं, जहां नागरिक आसानी से प्लास्टिक्स जमा करा सकते हैं। शहर के विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम करके नई पीढ़ी को भी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। संस्था के सदस्य श्री तरुण सेन बताते हैं कि वर्तमान में 40 से 50 युवाओं एवं महिलाओं की टीम रोजाना सैक्चिक् रूप से अभियान में काम कर रही है। अब तक 2 क्विंटल से अधिक प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदल कर नगर के विभिन्न स्थानों में इनका उपयोग किया जा चुका है। स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों का सहयोग भी दिनों-दिन बढ़ रहा है, इससे अभियान एक व्यापक जन-आंदोलन बनता जा रहा है। नगरपालिका ब्यावरा ने भी इस अभिनव पहल से जुड़कर भविष्य में इको ब्रिक्स से निर्मित उत्पादों का सार्वजनिक स्थलों पर अधिकाधिक उपयोग करने की मंशा जाहिर की है।

तेज बारिश ने सिस्टम की खोली पोल,भोपाल में जलभराव शिवनगर,सुंदरनगर में एक फीट तक भरा पानी ; जीएमसी के बॉयज हॉस्टल में घुसा पानी

भोपाल। भोपाल में तेज

बारिश ने नगर निगम और बिजली कंपनी के सारे दावों की पोल खोल दी। नालों की सही ढंग से सफाई नहीं होने से पानी सड़कों पर आ गया और वे तालाब बन गईं। शिवनगर, सुंदरनगर समेत पुराने शहर के इलाकों में खासा असर रहा। यहां सड़कों पर एक फीट तक पानी भर गया। दूसरी ओर, 100 से ज्यादा इलाकों में बिजली गुल रही। उधर, गांधी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) के हाल ही में नवीनीकरण किए गए सी-ब्लॉक बॉयज हॉस्टल के भूतल पर करीब 10 से 15 कमरों में पानी घुस गया। इसके अलावा पूरे ग्राउंड फ्लोर और कॉरिडोर में जलभराव हो गया, जिससे छात्रों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। हॉस्टल में करीब 70 से 80 छात्र रहते हैं।



बारिश के बाद सड़कें तालाब जैसी नजर आईं

शनिवार रात में बारिश का दौर शुरू हुआ, जो रविवार सुबह तक कभी तेज तो कभी रिमझिम जारी रहा। सबसे ज्यादा पुराना शहर प्रभावित रहा। वार्ड-73 में शिव नगर समेत कई मोहल्लों और गलियों में आधे घंटे की बारिश के बाद भारी जलभराव हो गया। शिवाजी गली, मस्जिद वाली गली और आसपास के इलाकों में सड़कें तालाब जैसी नजर आईं। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया, जबकि कई घरों तक पानी पहुंच गया। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि हर साल नालों की सफाई और बेहतर व्यवस्था के दावे किए जाते हैं, लेकिन पहली ही बारिश में पूरा सिस्टम फेल दिखाई दिया। सुंदरनगर में गाड़ियां बहने से बची वार्ड-76 के सुंदर नगर में इतनी तेज बारिश हुई कि कुछ ही देर में सड़कें तालाब बन गईं। गलियों में पानी का तेज बहाव देखा गया। इससे वहां खड़ी ट्रैक्लर बहने से बच गईं। इन इलाकों में बिजली गुल रही तेज आंधी के साथ बारिश हुई थी। ऐसे में 100 से ज्यादा इलाके प्रभावित हुए। बावड़ियाकलां, कोलार, होशंगाबाद रोड, रायसेन रोड पर सबसे ज्यादा असर देखा गया। कोलार में 2 से 3 घंटे तक बिजली गुल रही। यहां पर कुछ पेड़ भी गिरे हैं। यहीं हाल पुराने शहर के इलाकों में देखने को मिला। करोंद में भी जलभराव की स्थिति देखी गई। सवा इंच बारिश रिकॉर्ड मौसम विभाग ने रात में सवा इंच बारिश रिकॉर्ड की है। बारिश की वजह से रात का तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस पर आ गया।

संकल्प के साथ सक्रिय भूमिका निभाए प्रत्येक कार्यकर्ता

समापन सत्र में प्रांत संगठन मंत्री निखिलेश महेश्वरी ने अमृतकाल-2027 की कार्ययोजना प्रस्तुत करते हुए सम्राट विक्रमादित्य सैनिक विद्यालय, प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना, मॉडल विद्यालय, डिजिटल अधोसंरचना, कौशल बोध, पर्यावरण एवं व्यसनमुक्ति अभियान, 'वन्दे मातरम्' के 150वें वर्ष सहित विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों को सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता संकल्प, समर्पण एवं सामूहिक प्रयासों से शिक्षा, संस्कार और राष्ट्र निर्माण के लक्ष्यों को नई ऊँचाइयों तक पहुंचाने हेतु सक्रिय भूमिका निभाए। सभी ने मिलकर लक्ष्य केन्द्रित कार्य करने का संकल्प लिया।

संपादकीय
अब महाराष्ट्र में पेपर लीक
देश में प्रवेश और नौकरी के लिए पात्रता परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब महाराष्ट्र में 28 जून को होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) परीक्षा का पेपर दो दिन पूर्व लीक होने के बाद राज्य सरकार ने परीक्षा स्थगित कर दी है। साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। इस घटना ने उन लाखों परीक्षार्थियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, जो मेहनत के साथ परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि यह परीक्षा अब फिर से होगी, जिसकी तारीख बाद में घोषित की जाएगी। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने इसकी पुष्टि की है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद राज्य भर में कुल 1०28 केंद्रों पर 28 जून को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2०26 आयोजित करने जा रही थी। जिसमें कुल 4 लाख 28 हजार 122 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 2 लाख 26 हजार 363 सेवारत शिक्षकों को परीक्षा में शामिल होना था। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे ने इस संबंध में एक नोटिस जारी किया है। इसके मुताबिक, गोपनीय सूचना के आधार पर यह पता चला था कि 27 जून तड़के भिवंडी में कुछ व्यक्तियों को इस प्रश्न पत्र के बारे में जानकारी थी। इसके चलते भिवंडी पुलिस ने उस स्थान पर छापा मारा। इसके बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों को तत्काल सत्यापन के लिए बुलाया गया। जांच में पता चला कि जून 2०26 में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के प्रश्न पत्र मंन इन लोगों के पास कुछ एक जैसे प्रश्न थे। इस संबंध में भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। इस घटना से शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाने के लिए आवश्यक टीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे कई उम्मीदवारों को धक्का लगा है। वैसे भी महाराष्ट्र पेपर लीक का एपीसेंटर बन कर उभरा है। मंडिकल में प्रवेश के लिए होने वाली नोट परीक्षा के पेपर भी इसी राज्य में लीक हुए थे और खुद पेपर सेटर ने ही किए थे। उस मामले की जांच अभी चल ही रही है कि अब टीईटी पेपर लीक का मामला सामने आ गया है। फर्क इतना है यह पेपर परीक्षा होने के दो दिन पहले ही लीक हुआ और इसमें तत्काल कार्रवाई शुरू हो गई। चिंता की बात यह है कि जनीट 2०26 परीक्षा में हुई अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद द्वारा सभी सुरक्षा उपाय किए थे, फिर भी यह कांड हो गया। इस बीच टीईटी परीक्षा पेपर लीक पर राजनीति भी शुरू हो गई। राज्य की सत्तारूढ़ देवेन्द्र फडणवीस सरकार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्षी कांग्रेस ने इस सरकार को प्रश्नपत्र लीक करने वाली सरकार बताया है। बीजेपी की सरकार में कोई ऐसा पेपर नहीं, जो लीक नहीं होता। काँक्रेच जनता पार्टी ने एएस पर लिखा ‘एक और पेपर लीक हो गया। जनता को इसे बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि मंत्री इसकी कमी जवाबदेह नहीं होंगे।’ राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार) की महिला राकोंपा प्रदेशाध्यक्ष रोहिणी खडसे ने तंज किया कि सीएम फडणवीस साधनाम रहे, कोई सीएम पद का हार गले में डालने के लिए उत्सुक है। उनका इशारा एकनाथ शिंदे की ओर था, क्योंकि ‘परपलीकट पुणे जिले में हुआ है, जो शिंदे का प्रभाव क्षेत्र है। जाहिर है कि पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र सरकार कटघरे में है। राजनीतिक आरोपों को अलग भी रखें तो यह उन अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है, जो सरकारी नौकरी पाने का ख्वाब पाले हुए थे। अब दूसरी बार परीक्षा आयोजित करने की बात कही जा रही है, लेकिन उसका पेपर भी लीक नहीं होगा, इसकी गारंटी नहीं है।

नजरिया
रघु ठाकुर
लेखक समाजवादी चिंतक हैं ।

भारतीय राजनीति निरंतर पतन से अधःपतन की ओर बढ़ रही है। 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद सत्ताधारी कांग्रेस का नेतृत्व लगभग नियंत्रण मुक्त हो गया था। जो लोकप्रियता खोने के भय या सम्मान के चलते महात्मा गांधी की सलाह कुछ सुनी या मानी जाती थी उसकी भी संभावना समाप्त हो गई थी। 1952 के बाद कांग्रेस सरकार ने अपने वर्चस्व को बनाये रखने के लिये कई प्रकार के अनैतिक उपक्रम शुरु किये। केरल की विरोधी सरकार को दलबदल कर गिराया और ऐसे कई प्रयोग कालान्तर में 1957 और 1962 के बाद कई सूचों में किये गये। श्री विदेश्वरी प्रसाद मंडल जिनके नाम से मंडल कमीशन जाना जाता है, वे बिहार के मधेपुरा से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के विधायक चुनकर आये थे और राज्य सरकार में मंत्री थे। उस समय की कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का लालच दिया, सरकार गिराई गई और कुछ समय के लिये वे मंत्री बने और फिर उन्हें भी हटा दिया गया। बाद में वही श्री विदेश्वरी मंडल 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय संगठन कांग्रेस याने मुरारजी कांग्रेस के साथ चले गये। उनके इन्हीं रिश्तों के चलते जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जब जनता पार्टी की सरकार से उपप्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मंत्रीमंडल से हटाया गया, तब उनके जनाधार को कम करने के लिये जनता पार्टी के तत्कालीन नेतृत्व ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिये आयोग बनाने की बात स्वीकार की और जब वह आयोग बना तब उसका अध्यक्ष उन्हीं श्री वी.पी. मंडल को बनाया, जो पिछड़े वर्ग को धोखा देकर कांग्रेस के हाथ के खिलौना बने थे। देश में दलबदल की शुरुआत करने वाली भी कांग्रेस और उसके मुखिया थे। जहाँ कहीं भी प्रतिपक्ष का आधार बढ़ा उसे कमजोर करने के लिये कांग्रेस नेतृत्व ने हर प्रकार के हथकंडे अपनाये। दल के भीतर रहकर, दल के निर्णय को खिलाफकार्य करने की परिपाटी भी कांग्रेस ने ही शुरु की थी। 1९69 में कांग्रेस के विभाजन का एक कारण यह भी था कि कांग्रेस संगठन व सरकार के बीच गहरे मतभेद व टकराव थे। स्वरु जवाहर लाल नेहरू ने यह परिपाटी शुरु कर दी थी कि संगठन की तुलना में सत्ता सबोंपर है और उन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में धीरे-धीरे सत्ता का केंद्रीयकरण किया इसके परिणामस्वरुप या तो संगठन को अप्रभावी बनाया या अपने कब्जे में ले लिया। स्वरु जवाहर लाल नेहरू के जीवनकाल में श्रीमती इंदिरा गांधी कार्यवाहक अध्यक्ष बनीं थीं तथा वह सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने लगी थी। राजनैतिक निर्णयों को करने के लिये स्वतः प्रधानमंत्री पार्टी के नेताओं को इंद्रा जी के पास जाने के इशारे देने लगे थे। एक

प्रकार से अप्रत्यक्ष, अलिखित सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरु की गई थी। इसी प्रक्रिया को 1971 के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने आगे बढ़ाया तथा अप्रत्यक्ष व अलिखित तौर पर सत्ता का नियंत्रक अपने बेटे संजय गांधी को बनाया था। 1९69 में कांग्रेस संसदीय बोर्ड ने राष्ट्रपति पद के लिये स्व. नीलम संजीव रेड्डी को प्रत्याशी बनाया, इस पालियामेंट्री बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री के तौर पर श्रीमती इंद्रा गांधी उपस्थित थीं। उन्होंने न किसी नाम का प्रस्ताव किया और न कोई राय दी व चुप बैठी रहीं तथा बाद में वीवी गिरि को निर्दलीय तौर पर खड़ा कराया, उनका समर्थन किया, कांग्रेस प्रत्याशी को हराकर निर्दलीय प्रत्याशी को ऐनकन प्रकाशे जितायी। कांग्रेस में अनुशासनहीनता की विधिवत और उच्च स्तरीय शुरुआत तो स्व. श्रीमती गांधी ने की थी। इसी प्रकार की अनेकों घटनाओं का उल्लेख किया जा सकता है, उन्होंने पार्टी को व्यक्ति केन्द्रित या स्वः केन्द्रित बनाया। कांग्रेस के संगठन व ढांचे का विभाजन और पिछलगूपन यहीं से शुरु हुआ तथा महात्मा गांधी के जीवनकाल में जो परंपरा रही थी, कि सत्ता की तुलना में संगठन सबोंपर है, उस आदर्श परंपरा को मिटा दिया गया। इस व्यक्तिकरक और सत्तापरक सत्ता के प्रभुत्व के सिद्धांत की शुरुआत कांग्रेस ने ही की थी और अब धीरे-धीरे यह परिपाटी लगभग सभी पार्टियों में पहुंच चुकी है।

पार्टियों में अब अनुशासनहीनता वकी अपराध है याने चाहे वह कांग्रेस हो या भाजपा अब सबकी स्थिति विशेषतः संगठन की स्थिति दोयम दर्जे की है। जो लोग चुनाव का टिकिट नहीं मिलने पर, मंत्री नहीं बनने पर या मुख्यमंत्री नहीं बनने या हटाये जाने पर या केंद्रीय मंत्री नहीं बनाये जाने या हटाये जाने पर किसी सिद्धांत के लिये नहीं बल्कि स्वाथों के लिये पार्टी छोड़ते हैं, दलबदल करते हैं और बाद में बहुमत में कमी रहती है तब उन्हें ही दलों की सत्ता व संगठन पर वापसी के नाम पर ससम्मान बुलाती और सत्ता में हिस्सेदारी देती है, जो कार्यकर्ता और विशेषतौर पर जमीनी कार्यकर्ता दल के नीति सिद्धांत से बंधे रहते हैं, उन दल बदलुओं को उनके ही सिर पर थोप दिया जाता है। याने कुल मिलाकर सिद्धांत यह हो गया है कि कोई भी दल हो उसे सत्ता चाहिए, सत्ता के लिये जो भी अनैतिक कार्य करना हो वह करने को सत्ताधारी पक्ष तैयार रहता है। आजकल यह जुमला चल गया है कि भाजपा वाशिंग मशीन है और यह इसलिये कि जिन लोगों को भाजपा ने विपक्ष के रूप में भ्रष्टाचारी कहा, सीबीआई से मुकदमे दर्ज कराये 100-200 करोड़ नहीं बल्कि हजारों करोड़ के आरोप लगाये परंतु अपनी सत्ता बनाने के लिये उन्हें ही ससम्मान वापस करवा पूरी पार्टी के सिर पर चढ़ा दिया गया। स्वरु अजीत पंवार को सरकार बनाने के लिये एनसीपी से तोड़कर उममुख्यमंत्री की शपथ दिलवाई, उनको निर्दोष सिद्ध करने के लिये सीबीआई केस वापस ले लिये गये और जब वे वापस एनसीपी में चले गये तो उसी सीबीआई ने बेशर्मी के

साथ पुनः कार्यवाही की शुरुआत की। क्या सीबीआई के यह कार्य केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर नहीं थे? 2023 के विधानसभा चुनाव के समय फिर उन्हें मिलया, फिर केस हटया, फिर उममुख्यमंत्री बनाया। याने जिन राजनैतिक अपराधों या राजनैतिक अनैतिकता की शुरुआत कांग्रेस ने अपने व्यापक राष्ट्र सत्ता के दौरान की थी उन्हीं तरीकों को और अधिक बेशर्मी के साथ भाजपा आगे ले जा रही है। हरियाणा में दलबदल का खेल छुटपुट चलता रह परंतु स्व. देवी लाल जी को, मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिये श्री भजनलाल को जो कांग्रेस के थे, पूरे विधायकों के साथ जनता पार्टी में शामिल करारक मुख्यमंत्री बनाया गया। 1980 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला और देवीलाल जी को लगभग बहुमत होने के बाद भी रोकने के लिये कि वह मुख्यमंत्री न बन सके, श्रीमती इंदिरा गांधी ने जनता पार्टी के मुख्यमंत्री व मंत्रियों याने सारे मंत्री मंडल को वापिस कांग्रेस में शामिल करा दिया। क्या बिगड़ जाता अगर कांग्रेस एक दो राज्यों में अपने विरोधी दलों की सरकार को बर्दाश्त करती और अपनी पार्टी को नैतिक तरीकों से मजबूत बनाती।

नैतिकता के सिद्धांत को तो कांग्रेस ने पहले आम चुनाव के बाद ही त्याग दिया दिया था जब समाजवादियों ने कांग्रेस से निकलकर सोशलिस्ट पार्टी बनाई तो आचार्य नरेन्द्र देव के नेतृत्व में कांग्रेस के चिन्ह पर निर्वाचित विधायकों ने विधायक पद से नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिये, तथा मध्यावधि चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़े तथा अपनी ही पार्टी के पुराने साथियों को हराने के लिये कांग्रेस ने अनैतिक रास्ते अपनाये। यह सर्वविदित तथ्य है कि आचार्य नरेन्द्र देव जी को हराने के लिये कांग्रेस ने बाबा राघवदास को खड़ा किया और अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिये वोट मागे। अगर आचार्य जी वह चुनाव जीत जाते, कांग्रेस पार्टी नैतिक मूल्यों का सम्मान करती और उन्हें हटाने के लिये हिंदुत्व कार्ड नहीं खेलती तो देश में नैतिक मूल्यों की स्थापना होती तथा कटटरपंथ की राजनीति का उदय नहीं होता। अगर कांग्रेस के नैतिक पद विनोद ने अस्वों का इस्तेमाल, भाजपा कांग्रेस के खिलाफ कर रही है। दुखद यह है कि 1९5० से लेकर 1९60 के दशक तक राजनीति व चुनाव में, पैसे का चलन उतना नहीं हुआ था। समाज में भी कमोवेश नैतिक मूल्यों का सम्मान होता था। चुनाव में पैसे का खुलकर उपयोग 1९71 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने शुरु किया था। उमा वासुदेव ने जिन्होंने उनकी आत्मकथा लिखीं उसमें श्रीमती इंद्रा गांधी को एक प्रश्न के उत्तर में यह कहते हुये उद्धृत किया है कि ‘ मैं चुनाव इतने महंगे कर दूंगी कि कोई विरोधी चुनाव नहीं लड़ सकेगा।’ जिस राजनैतिक गंदगी की शुरुआत राजनीति में पैसे के चलन को कांग्रेस ने शुरु किया था अब उसी का इस्तेमाल और बड़े पैमाने पर भाजपा कर रही है। भाजपा को उद्योगपतियों ने इस वर्ष 6600 करोड़

रुपये का चंदा दिया और कांग्रेस को 1९00 करोड़ का। याने अब भाजपा की सत्ता उद्योगपतियों को अधिक पसंद है बजाय कांग्रेस के। अब तो हलाल इतने चिंताजनक है कि पंचायतों के चुनावों में लाखों से लेकर करोड़ों रुपया खर्च होने लगी। मतदाता पंचायत से लेकर लोकसभा तक हर चुनाव में अपवाद छोड़कर सीधे रुपया लेकर वोट दे रहे हैं। जो लोग सीधे रुपया नहीं ले रहे हैं वे सरकार से कुछ हजार रुपये की सुविधाओं के बदले में वोट दे रहे हैं। यह भी लगभग उसी प्रकार वोट को बेचना है जिस प्रकार नगद रुपया देकर वोट को बेचना है। दिल्ली का उच्च मध्यमवर्ग और मध्यवर्ग जिसकी मासिक आमदनी औसतन लाख दो लाख प्रतिमाह से अधिक है, वह भी 200 यूनिट बिजली, 300 लीटर मुफ्त पानी, के लिये वोट देता है। अगर सामान्य व गरीब मतदाता 5-1० हजार रुपयों को लेकर अपना वोट बेचता है तो हमारा पढ़ा लिखा संप्रभौ मतदाता साल के 30-40 हजार रुपया और 5 साल के लिये लाख डेढ़ लाख रुपये में अपना वोट बेचता है। यह राजनीति के पतन का भयांक दौर है। पहले मुस्लिम मतदाता ने केवल कपतन को वोट दिया, अपने मतों का धुवीकरण किया और अब उसके प्रतिउत्तर में हिंदु मतदाताओं का धुवीकरण शुरु हुआ तथा हिंदु मतदाता भी अब आमतौर पर भाजपा का समर्थक मतदाता बन रहा है। पहले कांग्रेस अल्पसंख्यकों को इशारक छोटे वोलेंती थी, अब बहुसंख्यक हिंदु संप्रदाय को भाजपा डरा कर उनका भयादोहन कर रही है। दल बदल अब इतना फैल चुका है कि जो राजनीति व राजनैतिक दलों के लिये कैसर जैसा हो गया है। अब जो पार्टी सरकार से हटती है उसके लोग बड़े पैमाने पर पार्टी को छोड़कर सत्ता पक्ष की ओर चले जाते हैं जो कि एक चलन बन गया है। जब प.बंगाल में कांग्रेस व सीपीएम सरकार से हटी तो कांग्रेस के काफी लोग ममता बनर्जी के साथ चले गये। और इस बार जब ममता बनर्जी हार गई तो चुनाव के दो माह भी नहीं हुए और उनकी पार्टी के अधिकांश विधायक, सांसद, यहां तक कि राज्यसभा के सदस्य भी पार्टी छोड़कर चले गये। यह स्थिति करीब-करीब सभी सूबों में, सभी दलों के साथ हो रही है। जब कभी दिल्ली का ताज भाजपा से छिन्नेगा तो उनकी पार्टी में भी इससे ज्यादा भगदड़ मचेगी। राजनीति व राजनैतिक कार्यकर्ताओं को सत्ता का खून पीने की दाढ़ लग चुकी है और अब यह जल्दी रुकने वाली नहीं है। इसलिये भाजपा हर हाल में अपनी हार गई तो बनाये रखने के लिये हर अपराध करेगी, कानून को तोड़ेगी, संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बनायेगी और व्यक्ति केन्द्रित सत्ता की परिपाटी को चलायेगी।

मैं उन सभी लोगों से जो सिद्धांत पर चलना चाहते हैं, अपील करता हूं कि इस अनैतिकता की गिरावट, भ्र्यंकर आंधी और तूफान में भी आप तिनके के समान खड़े रहें। मैंने, तूष्ण जायेगा परंतु ये तिनके ही कल राजनीति की नैतिक के मार्गदर्शक और आधार बनेंगे।

सामयिक
कुमार कृष्णन
लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं ।

‘विहार के वैशाली में एक सेंटिक टैंक के भीतर एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत,’ ‘छत्तीसगढ़ में रायपुर के एक अस्पताल के सेंटिक टैंक में तीन कर्मचारियों की मौत,’ ‘मध्यप्रदेश के इंदौर में बचाव कार्य के दौरान सीवर कर्मचारियों की मौत,’ ‘दिल्ली के सीमापुरी में एक सविदा सफाई कर्मचारी की मौत, खुले नाले की सफाई के लिए मजबूर किया गया,’ ‘हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ठेकेदारों और नगर निकायों के सफाई कार्यों के दौरान हुई कई सीवर मौतें,’ ‘औद्योगिक ड्रेनेज टैंकों और सीवेज चैम्बरों में बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के काम करते हुए प्रवासी मजदूरों की मौतें।’

सीवर-कटने की ये खबरें उस समय आ रही हैं जब ‘मैनुअल स्कैवेजर्स के रूप में रोजगार प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013’ के तहत खतरनाक ‘मैनुअल स्कैवेजिंग’ (मैला ढोने की कृत्रथा) पर कानूनी प्रतिबंध लागू है; सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मशीनीकरण और मुआवजे को लेकर कई बार निर्देश दिए जा चुके हैं; तथा सरकारें बार-बार ‘मैनुअल स्कैवेजिंग’ समाप्त करने के दावे करती रही हैं। भारत में, हथ से मैला ढोने वालों की गरिमा और बुनियादी अधिकारों की लड़ाई अभी भी जारी है।

मार्च से मई 2026 के दौरान विभिन्न राज्यों से सामने आई सीवर और सेंटिक टैंक मौतों की रिपोर्ट के मुताबिक तीन महीनों के दौरान ही कम-से-कम 36 सफाई कर्मचारियों की सीवर, सेंटिक टैंक, नालों और सीवेज चैम्बरों की सफाई करते समय अत्यंत असुरक्षित और अवैध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। मृतक कर्मचारी मुख्यतः वाल्मीकि समुदाय और अन्य हथियरे के समुदायों या प्रवासी मजदूरों से थे तथा अधिकांशतः अनौपचारिक ठेकेदारी व्यवस्था के माध्यम से कार्यरत थे। इन लगभग हर मामलों में कर्मचारियों को ऑक्सीजन सिलेंडर, बीडिंग अपरेटर, गैस डिटेक्टर, सुरक्षा पोशाक, हार्नेस या आपातकालीन बचाव प्रणाली के बिना अत्यधिक जहरीले बंद स्थानों में उतरने के लिए मजबूर किया गया था। इन मौतों में एक ही भयावह ढंग देखने को मिला, जो भारत में सीवर और सेंटिक टैंक मौतों में आम है-एक कर्मचारी चैम्बर में उतरता है और जहरीली गैस या ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश होकर गिर जाता है, उसे बचाने उसके सहकर्मी उतर जाते हैं और वही अगुखित परिस्थिति उनकी भी

नर्क से निपटते सीवर सफाई-कर्मों

जान ले लेती है। सर्वोच्च न्यायालय ने पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों और सुरक्षा प्रोटोकॉल के बिना सीवर या सेंटिक टैंक में नहीं उतरने और सीवर, सेंटिक टैंक मौतों के लिए 30 लाख रुपये मुआवजे का निर्देश भी दिया है। इसके बावजूद यह प्रथा जारी है। केंद्र सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि 2017 से 2026 को शुरुआत तक 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीवर और सेंटिक टैंक सफाई के दौरान 622 कर्मचारियों की मौतें हुईं। वर्ष 2021 से 2025 के बीच खतरनाक सीवर और सेंटिक टैंक सफाई कार्यों में 317 सफाई कर्मचारियों की मौत हुई, अप्रैल 2026 तक ‘मनसे योजना’ के तहत 89,248 सीवर और सेंटिक टैंक कर्मचारियों की प्रोफाइलिंग की गई।

ऐसी मौतों की वास्तविक संख्या कहीं अधिक होती है क्योंकि अनेक मौतों को ‘मैनुअल स्कैवेजिंग’ की बजाय सामान्य दुर्घटना के रूप में दर्ज कर दिया जाता है। अनौपचारिक और आउटसोर्स ठेकेदारी व्यवस्था भी श्रम उल्लंघनों और मौतों को छिपाने में मददगार बनती निभाती है। ‘मैनुअल स्कैवेजिंग’ की निरंतरता गहरे जातिगत भेदभाव, श्रम शोषण, प्रशासनिक लापरवाही, सुरक्षा मानकों के कमजोर क्रियान्वयन और सरकारों तथा नागरिक निकायों द्वारा बार-बार किए गए वादों के बावजूद मशीनीकृत सफाई व्यवस्था लागू न करने की विफलता को दर्शाती है। मृत कर्मचारियों के परिवारों को निश्चित समयसीमा के भीतर मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि कई परिवार अंतिम संस्कार तक करने में असमर्थ होते हैं। सभी सीवर कर्मचारियों को स्थायी नौकरी दी जानी चाहिए, संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए और सरकार व प्रशासन को उनके कल्याण के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। अधिवक्ता कवलप्रीत कौर के अनुसार ‘दिलित, आदिवासी शक्ति अधिकार मंच’ की रिपोर्ट के अनुसार केवल तीन महीनों में 36 सीवर कर्मचारियों की मौतें हुईं, यानी हर महीने औसतन 12 मौतें। यह पूरी तरह असंभव है। ‘मैनुअल स्कैवेजर्स के रूप में रोजगार प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013’ और कई अदालती फैसलों के बावजूद ये मौतें जारी हैं। ऐसी कौन-सी परिस्थितियाँ हैं जो कर्मचारियों को जानबूझकर मौत के कुएँ में उतरने के लिए मजबूर करती हैं?

ठेका प्रणाली में न तो नगर निकाय और न ही ठेकेदार कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। नियमित व्यवस्था में कम-से-कम राज्ज जवाबदेह होता है। कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन तक नहीं मिल रहा, इसे अदालतों ने बंधुआ मजदूरी का एक रूप माना है। सीवर कर्मचारियों को केवल न्यूनतम नहीं, बल्कि जीवन-निर्वाह योग्य वेतन

मिलना चाहिए। चूँकि सीवर कार्य सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, इसलिए सफाई कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। सभी सविदा कर्मचारियों को नियमित कर स्थायी रोजगार दिया जाना चाहिए।

सीवर सफाई कर्मियों की मृत्यु पर 30 लाख रुपये और चोट लगने पर 20 लाख रुपये का मुआवजा पर्याप्त नहीं है। सफाई कर्मचारियों को सम्मानजनक और जीवन-निर्वाह योग्य वेतन मिलना चाहिए। अखिल भारतीय निगम मजदूर अधिकार यूनियन’ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव पालीवाल के अनुसार भारत की स्वतंत्रता के 78 वर्षों बाद भी सीवर कर्मचारियों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। सरकार को पीड़ितों के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि उनके पीछे परिवार हैं, जो कर्मचारी की मृत्यु के बाद गरीबी और बेबसी का जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। कम-से-कम पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि ये परिवार अधिक पीड़ा न झेलें।

‘मैनुअल स्कैवेजर्स के रूप में रोजगार प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013’ तथा सर्वोच्च न्यायालय के बार-बार दिए गए निर्देशों के बावजूद पूरे देश में जारी ‘मैनुअल स्कैवेजिंग’ और खतरनाक सफाई कार्य गंभीर दीर्घकालिक शारीरिक, न्यूरोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक और व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं, जिनमें जहरीली गैस से दम घुटना, रक्वम रोग, त्वचा संक्रमण, मस्कुलोस्केलेटल विकार, न्यूरोलॉजिकल जटिलताएँ, डूबने का खतरा, मानसिक आघात, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ, तरो की निर्भरता और जीवन प्रत्याशा में कमी शामिल हैं। इसके बावजूद व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी, नियमित चिकित्सीय जांच, बीमा कवरेज, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, मुआवजा और पुनर्वास सहायता लगभग अनुपस्थित हैं।

सफाई कर्मचारियों की लगातार मौतें भारत में जाति-आधारित संरचनात्मक हिंसा के सबसे गंभीर और स्थायी रूपों में से एक हैं। ये कर्मचारी कोई उपक्षित मजदूर नहीं हैं। वे ऐसे इंसान हैं जिन्हें गरिमा, समानता, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और संवैधानिक संरक्षण का अधिकार है। ‘दिलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच’ ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, नगर निकायों, न्यायालिका, मानवाधिकार संस्थाओं तथा नागरिक समाज से अपील की है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी डलरकी को आजीविका कमाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर सीवर या सेंटिक टैंक में उतरने के लिए मजबूर न होना पड़े। (संप्रेस)

नई पीढ़ी, स्वार्थ और संवेदनाओं का संकट

अभिव्यक्ति
अदिति सिंह भटौरिया
लेखक स्तम्भकार हैं ।

आज का समय विज्ञान, तकनीक और आधुनिकता का युग है। हमारी नई पीढ़ी पहले की तुलना में अधिक शिक्षित, जागरूक और अवसरों से भरपूर है। फिर भी एक प्रश्न बार-बार मन को विचलित करता है कि सुविधाओं और संसाधनों की इस प्रचुरता के बीच मानवीय संवेदनाएँ क्यों कम होती जा रही हैं? क्यों आज कुछ युवा अपनी कुठित इच्छाओं और क्षणिक भावनाओं के आगे इतने बेवस दिखाई देते हैं कि उन्हें अपने माता-पिता के प्रेम, त्याग और प्रकाश का मूल्य भी समझ में नहीं आता? माता-पिता अपने बच्चों के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देते हैं। वे अपनी इच्छाओं का त्याग करते हैं, अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं और हर परिस्थिति में बच्चों की खुशियों को प्राथमिकता देते हैं। एक माँ रातों की नींद खोकर बच्चे का पालन-पोषण करती है और एक पिता अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिन-रात परिश्रम करता है। किंतु दुख बात होता है जब वही बच्चे बड़े होकर केवल अपने स्वार्थ, इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को ही सर्वोपरि मानने लगते हैं। उन्हें माता-पिता का प्रेम नहीं, बल्कि केवल अपनी सुविधाएँ दिखाई देती हैं। समाज में आए दिन ऐसी घटनाएँ सुनने को मिलती हैं जहाँ संपति, प्रेम संबंध, स्वतंत्रता या अन्य स्वास्थों के कारण युवा अपने ही माता-पिता के प्रति हिंसक व्यवहार करते हैं। इसका कभी तो वे ऐसे अपराध कर बैठते हैं जिनकी कल्पना मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह सोचकर मन व्यथित हो उठता है कि जिन हाथों ने उन्हें चलना सिखाया, उन्हीं हाथों को चोट पहुँचाने का साहस उनमें कैसे आ जाता है? क्या हमारी संवेदनाएँ इतनी कमजोर हो गई हैं कि रिश्तों का महत्व केवल तब तक रह गया है जब तक वे हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं?

आज की पीढ़ी के सामने अनेक चुनौतियाँ हैं। प्रतिस्पर्धा, सामाजिक दबाव, त्वरित सफलता की चाह और सोशल मीडिया का प्रभाव उनके मन पर गहरा असर डाल रहा है। हर व्यक्ति दूसरों

से बेहतर दिखना चाहता है, अधिक धन कमाना चाहता है और अपनी इच्छाओं को तुरंत पूरा करना चाहता है। जब इन इच्छाओं के मार्ग में कोई बाधा आती है, तब निराशा, क्रोध और कुटुंब जन्म लेती है। धीरे-धीरे यह कुटुंब व्यक्ति की सोच को इतना संकुचित कर देती है कि उसे सीधे और गलत का भेद भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। सबसे चिंताजनक बात यह है कि आज किसी को कष्ट पहुँचाना, अपमानित करना या उसके जीवन को नष्ट कर देना कुछ लोगों को आसान लगने लगा है, परंतु किसी के लिए त्याग करना, उसके लिए संघर्ष करना और उसके साथ खड़े रहना कठिन प्रतीत होता है। किसी का जीवन समाप्त कर देना एक क्षणिक आवेग का परिणाम हो सकता है, लेकिन किसी के लिए जीवनभर समर्पित रहना धैर्य, प्रेम और जिम्मेदारी की माँग करता है। शायद यही कारण है कि स्वार्थ से प्रेरित व्यक्ति आसान रास्ता चुन लेते हैं और मानवता का मार्ग छोड़ देते हैं।

प्रश्न यह नहीं है कि अपराध क्यों हो रहा है। प्रश्न यह है कि ऐसी कौन-सी कुटुंबाएँ हैं जो हमें इतना घृणित कार्य करने पर भी क्षिप्त महसूस नहीं होते देती? क्या यह संवेदनहीनता है? क्या यह आत्मकेन्द्रित जीवनशैली का परिणाम है? या फिर यह परिवार और समाज में नैतिक मूल्यों के क्षरण का संकेत है? जब व्यक्ति केवल ‘मैं’ और ‘मेरा’ तक सीमित हो जाता है, तब उसके भीतर दूसरों के दुख को समझने की क्षमता कम होने लगती है। वह रिश्तों को भी लापर और हानि के तराजू में तौलने लगता है।

इस समस्या का समाधान केवल कानून या दंड से नहीं हो सकता। इसके लिए परिवारों को संवाद बढ़ाना होगा, विद्यालयों को नैतिक शिक्षा और संवेदनशीलता पर अधिक ध्यान देना होगा तथा समाज को मानवीय मूल्यों को पुनः स्थापित करना होगा। बच्चों को यह सिखाना आवश्यक है कि सफलता केवल धन, प्रसिद्धि या स्वतंत्रता प्राप्त करने में नहीं, बल्कि अपने रिश्तों का सम्मान करने और दूसरों के लिए जीने में ही है।

अंततः यह समझना होगा कि मनुष्य की पहचान उसकी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उसकी संवेदनाओं से होती है। यदि हम अपने माता-पिता के प्रेम और त्याग का सम्मान नहीं कर सके, तो हमारी सारी प्रगति व्यर्थ है। नई पीढ़ी को यह याद रखना होगा कि किसी के लिए जीवित रहना, उसके सुख-दुख में सहभागी बनना और प्रेमपूर्वक संबंध निभाना ही सच्ची मानवता है। स्वार्थ और कुटुंब के अंधकार से बाहर निकलकर हमें करुणा, कृतज्ञता और संवेदनशीलता के प्रकाश की ओर बढ़ना होगा, तभी एक स्वस्थ और मानवीय समाज का निर्माण संभव होगा।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबन्धी परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोसिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph.No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com
‘सुबह सवेरे’ में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य
डॉ.महेन्द्र अग्रवाल
लेखक व्यंग्यकार हैं।

कि सी भी नवोदित कवि/लेखक के साहित्यिक जीवन की सबसे बड़ी घटना उसके प्रथम संग्रह का प्रकाशन है। इसका उमंगदायी अनुभव वही जानते हैं जो इस दौर से गुजरेते हैं।प्रथम पुत्र की प्राप्ति जैसे अनिवार्यनीय आनंद को अनुभूत कर इतराजा जीवन के दुर्लभ क्षणों में से एक है। पर किताब छपवाने की प्रक्रिया में उसे किसी वरिष्ठ नामचीन लेखक से भूमिका लिखवना भी जरूरी हो जाता है जाकि उनके नाम के साथ उसकी भी पहचान बन सके। इस प्रक्रिया से गुजरेते हुए उसे कुछ महत्वपूर्ण किन्तु गणनीय बातों का ज्ञान होता है।एक तो यही कि लेखकों के अपने संगठन हैं और किताबों की भूमिका, समीक्षा या फ्लेप मैटर के लिए उनके संगठन से जुड़ना निहायत अनिवार्य हैं।

पिछले छह महीनों से भटक रहा तीन चार घाट का पानी पी चुका नवोदित सब तरफ से निराश होकर जब मुझ चतुर्थ श्रेणी साहित्यकार की शरण में अपने

भूमिका लिखने का लालच अभी रोके हुए है

उद्देश्य की पूर्ति के लिए आया तो मेरे व्यवहार से पसीजकर रूने लगा। तब उसने एक प्रथम श्रेणी साहित्यकार से वार्तालाप का जो ब्यूरा सुनाया वह ज्यों की त्यों प्रस्तुत है।कबीर की ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया की तरह।

चार महीने की जर्तीषा के बाद नवोदित ने उनसे संवाद स्थापित किया।हाथ-हैलो कैसे हैं ? क्या चल रहा है ? क्या लिख रहे हैं ? के बाद बात सीधे पाण्डुलिपि की प्रस्तावना तक पहुंच गई।उसने क्षिप्तकते सक्कते हुए निवेदन किया-सर, बहुत देर हो रही है अगर दो-तीन महीने और निकल गये तो किताब असामयिक, अप्रासांगिक हो जाएगी।

-हां !शायद, हो सकता है, क्या करें ? बताइये ?
-सर किताब तो पूरी तैयार है ,प्रेस में है आपका आशीर्वाद मिल जाता तो....

-हां,वो क्या है इधर कुछ काम ज्यादा है।
- आपके पास तो बहुत काम है सर,। मुझ पर भी थोड़ी कृपा कर दें।..... उसने जब प्रार्थना लंबी खींची चाही तो उन्होंने उसे अनावश्यक मानकर स्विच ऑफ कर दिया।उसने दुबारा फोटोकॉपी कराकर, बातकर फिर एक वरिष्ठ का दामन पकड़ा। पूरी विनम्रता से उनसे भी भूमिका लिखने का अनुरोध

किया।मना उन्होंने भी नहीं किया पर दो महीने बाद का वार्तालाप कुछ यूं था:
-अरे भाई आपके ऊपर? मैं क्या लिखूंगा ? आपका इतना अच्छा काम है।
- आपका बड़प्पन है सर ,किताब पर आपका आशीष मिल जाए।

- ठीक है,ऐसा करो,यहीं आ जाओ बैठकर बात कर लेंगे।

-सर बात क्या ?आप जैसा कहें।
-देखो मैं इधर व्यस्त हूं। कितना इंतजार कर सकते हो?
-सर इंतजार क्या, आप जैसा करेंगे।

ठीक है (अहसान जताते हुए) इसी महीने कोशिश करता हूं। हां ये बताओ कितने पेज की भूमिका दीज रहेगी।

न्याय और कानून

विनय झैलावत

(पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता)



पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 का उद्देश्य कानून से संघर्षरत बच्चों को दंडित करना नहीं, बल्कि उनका सुधार और पुनर्वास करना है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल आरोपी अपराध की गंभीरता या किशोर की आयु जमानत देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती। उच्च न्यायालय ने हत्या के मामले में आरोपी किशोर की जमानत याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ दायर अपील पर यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की। हालांकि मामले के तथ्यों को देखते हुए न्यायालय ने विचारण न्यायालय का आदेश बरकरार रखते हुए अपील खारिज की। मामला भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 103(1) और 61(2) तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दर्ज हत्या के एक मामले से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार किशोर का नाम सह आरोपी के कथित स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर सामने आया। बाल न्यायालय ने सामाजिक जांच रिपोर्ट पर भी भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि किशोर अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की संगति में था, पढ़ाई छोड़ चुका था और नशे का आदी था। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि उसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। उसकी पहचान परेड भी नहीं कराई गई। अधिनियम की धारा 12 में जमानत से इनकार के लिए निर्धारित कोई भी आधार इस मामले में मौजूद नहीं है। वहीं, राज्य सरकार ने किशोर के आपराधिक रिकॉर्ड, सामाजिक जांच रिपोर्ट और यह तथ्य सामने रखा कि उसके माता-पिता झारखंड में रहते हैं तथा उसके लिए प्रभावी अभिभावकीय देखरेख उपलब्ध नहीं है। धारा 12 की व्याख्या करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान सामान्य आपराधिक कानून में जमानत संबंधी प्रावधानों पर प्रभावी है। अधिनियम के तहत किशोर को जमानत देना सामान्य नियम है, जबकि जमानत से इनकार अपवाद है। न्यायालय ने कहा कि जमानत केवल तभी रोकी जा सकती है, जब रिहाई से बच्चे के ज्ञात

संत कबीर जयंती

श्वेता गोयल

लेखक शिक्षक हैं।



पतिवर्ष ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन संत कबीर दास जी की जयंती मनाई जाती है, जो 29 जून को मनाई जा रही है। संत कबीर अपने भजनों के माध्यम से समाज के पाखंड को उजागर किया करते थे। कबीर के दोहों, साखियों, पदों, शब्दों, रमैणियों तथा उनकी वाणियों में ऐसे कितने ही उपदेश देखे जा सकते हैं, जो धर्म और समाज के पाखंड को उजागर करते हैं। संत कबीर को राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता भी इसी से ही मिली थी। आज भी उनके भक्ति गीत ग्रामीण, आदिवासी और दलित इलाकों में बहुत प्रचलित हैं। सही मायनों में कबीर दास न केवल एक महान संत थे बल्कि एक विचारक और समाज सुधारक भी थे। संत कबीर एक जुलाहे के रूप में कार्य करते थे और स्वभाव से बेहद शांत, नम्र तथा ईमानदार थे। उन्होंने अपनी ऊंची सोच-समझ से उस दौर में न जाने कितने ही लोगों का जीवन बदल दिया था। संत कबीर से जुड़ा ऐसा ही किस्सा बहुत प्रचलित है। संत कबीर को कभी किसी पर क्रोध नहीं आता था और यह बात दूर-दूर तक प्रचलित थी। एक बार बिगड़ैल किस्म के कुछ युवाओं को शरात सूझी, जिनमें से एक लड़का तो बहुत धनी परिवार से था। सारे युवक कुछ योजना बनाकर कबीर को परेशान करने के इरादे से उनके पास पहुंचे ताकि वे अपनी हरकतों से कबीर को परेशान कर उन्हें गुस्सा दिला सकें। युवकों ने वहां पहुंचकर कबीर से एक धोती की इशारा करते हुए कहा कि यह धोती तुम

गुहा

जयदेव राठी

लेखक एडवोकेट हैं।



अयोध्या की पावन धरती पर विराजमान श्री राम जन्मभूमि मंदिर, जो करोड़ों भारतीयों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, हाल ही में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना का शिकार हुआ। मंदिर परिसर में हुई चोरी की घटना ने न केवल श्रद्धालुओं के मन को व्यथित किया है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी प्रश्नचिह्न लगाया है। इस घटना के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच शुरू हो चुकी है। यह बिल्कुल सही और आवश्यक कदम है। कानून को अपना काम करना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी चाहे कोई भी हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अपराध अपराध होता है, और मंदिर जैसी पवित्र जगह पर हाथ डालना किसी भी सभ्य समाज में क्षम्य नहीं किया जा सकता। लेकिन, इस घटना से कहीं ज्यादा चिंताजनक और विचारणीय वह 'शोर' है, जिसे देश का तथ्यकथित विपक्ष इस मुद्दे पर मचा रहा है। सवाल यह उठता है कि क्या अपराध की यह घटना इतनी बड़ी है कि देश की संसद से लेकर सड़क तक हंगामा किया जाए, या फिर इस शोर के पीछे कोई गहरा सियासी एजेंडा काम कर रहा है? अगर हम ईमानदारी से इस स्थिति का विश्लेषण करें, तो विपक्ष का यह अचानक जागा 'संवेदनशील' चेहरा साफ दिखाई देता है। देशभर के कोने-कोने में स्थित मंदिरों में अतीत में भी चोरियां हुई हैं। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध और समृद्ध मंदिरों से लेकर उत्तर और पश्चिम के अनेक प्राचीन मंदिरों तक, चोरियों की घटनाएं समय-समय पर प्रकाश में आती रही हैं। उन घटनाओं पर क्या विपक्ष ने कभी यह हंगामा मचाया था? क्या तब विपक्ष के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धर्म और आस्था की

‘किशोर न्याय कानून’ का उद्देश्य सुधार, सजा नहीं! दृष्टिकोण अंततः समाज के लिए ही विनाशकारी साबित होगा। किसी भी बच्चे के पुनर्वास में परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि किशोर न्याय अधिनियम में प्रयुक्त न्याय के उद्देश्य की अवधारणा की अधिनियम के सुधारात्मक और पुनर्वास संबंधी उद्देश्य के अनुरूप समझा जाना चाहिए।

अपराधियों की संगति में जाने, नैतिक, शारीरिक या मानसिक खतरे में पड़ने अथवा न्याय के उद्देश्य प्रभावित होने की आशंका हो। उच्च न्यायालय ने कहा कि आरोपित अपराध की गंभीरता या किशोर की आयु, धारा 12 के तहत जमानत से इनकार करने के लिए प्रासंगिक आधार नहीं है। यहां तक कि 16 वर्ष या उससे अधिक आयु का वह किशोर, जिस पर जघन्य अपराध का आरोप हो, भी अधिनियम की धारा 12 के तहत जमानत पाने का अधिकार रखता है।'' न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि किशोर न्याय अधिनियम में प्रयुक्त न्याय के उद्देश्य की अवधारणा की अधिनियम के सुधारात्मक और पुनर्वास संबंधी उद्देश्य के अनुरूप समझा जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि कोई भी समाज अपने बच्चों को दंडित करने का जोखिम नहीं उठा सकता। कानून से संघर्षरत बच्चों के प्रति दंडात्मक दृष्टिकोण अंततः समाज के लिए ही विनाशकारी साबित होगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी भी बच्चे के पुनर्वास में परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। यद्यपि प्रेक्षण गृह अधिनियम के तहत एक व्यवस्था है, लेकिन बच्चे की देखभाल, संरक्षण और समाज में पुर्नस्थापना के लिए परिवार सर्वोत्तम संस्था है। इसलिए प्रत्येक ऐसे बच्चे को यथाशीघ्र परिवार से मिलने का प्रयास किया जाना चाहिए। हालांकि, वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने पाया कि किशोर पर हत्या के अलावा हत्या के प्रयास से जुड़े दो अन्य आपराधिक मामलों में भी आरोप हैं। सामाजिक जांच रिपोर्ट में उसके आपराधिक तत्वों की



ने जमानत देने से इनकार करने का आदेश बरकरार रखते हुए अपील खारिज की। भारत में भी किशोरों द्वारा किए गए अपराधों के लिए किशोर न्याय प्रणाली प्रचलित है। लेकिन, यह समझना भी आवश्यक है, कि यह सामान्य प्रणाली से अलग क्यों है और क्यों इस प्रकार के मामलों में कानून एक अलग रूख अपनाता है। हाल ही में एक अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के एक निर्णय को चुनौती देने वाली एक अपील को खारिज करते हुए कहा कि किशोर न्याय संबंधी याचिकाओं को प्रमाणिक तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि यदि किशोर

होने की प्रमाणिकता के लिए सदिग्ध प्रकृति के दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं, तो आरोपी को किशोर नहीं माना जाएगा, यह देखते हुए कि यह कानून एक लाभकारी कानून है। किशोर अपराधियों (18 वर्ष से कम आयु) के किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत संरक्षण प्रदान किया जाता है। इस अधिनियम की धारा 7-ए के तहत एक आरोपी व्यक्ति किशोर होने का दावा किसी भी न्यायालय के समक्ष, किसी भी स्तर पर, यहां तक कि मामले के अंतिम निपटान के बाद भी कर सकता है। किशोर न्याय प्रणाली उन बच्चों से संबंधित है जिन्होंने किसी प्रकार से कानून का उल्लंघन किया है और जिन्हें देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता है। भारत में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को किशोर माना जाता है। अवयस्क वह व्यक्ति है, जिसने पूर्ण कानूनी उत्तरदायित्व संबंधी आयु प्राप्त नहीं की है और किशोर एक ऐसा अवयस्क है जिसने कोई अपराध किया है और उसे देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता है। भारत में 7 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को 'डॉकिट्रन ऑफ डोली इनकैपैक्स' के कारण किसी भी अपराध के लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसका अर्थ है कि अपराध करने का इरादा रखने में असमर्थ व्यक्ति। भारत में बाल अधिनियम, 1960 लागू किया गया। इस अधिनियम ने किसी भी परिस्थिति में बच्चों के कारावास को प्रतिबंधित किया और देखभाल, कल्याण, प्रशिक्षण, शिक्षा, रखरखाव, सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान किया। साथ ही किशोर न्याय अधिनियम, 1986 भी लागू किया गया। बाल अधिनियम को एकरूपता प्रदान करने हेतु किशोर न्याय अधिनियम, 1986 लागू किया गया,

साथ ही संयुक्त राष्ट्र घोषणा, 1959 के अनुसार किशोरों की सुरक्षा के लिए मानक निर्धारित किए गए। सन् 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 भारत सरकार द्वारा किशोर न्याय अधिनियम को निरस्त कर एक नया अधिनियम, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 लाया गया। इसमें कानून के साथ विवाद और देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता जैसी बेहतर शब्दावली थी। जिन किशोरों का कानून के साथ टकराव होता है, उन्हें किशोर न्याय बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाता है और जिन किशोरों को देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता होती है, उन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हाल ही में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 राज्यसभा में पारित किया गया। यह अधिनियम बच्चों की सुरक्षा और उन्हें गोद लेने के प्रावधानों को मजबूत करने तथा कारण बनाने का प्रयास करता है। न्यायालय के समक्ष गोद लेने के कई मामले लंबित हैं। न्यायालय की कार्यवाही में तीव्रता लाने के लिए अब शक्तियां को जिला मजिस्ट्रेट को हस्तांतरित कर दिया गया है। संशोधन में प्रावधान है कि इस तरह के गोद लेने के आदेश जारी करने का अधिकार अब जिला मजिस्ट्रेट के पास है। इसके साथ ही यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम, 2013, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 2016, बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 2005 भी बालको एवं किशोरों के अपराधों के मामलों में प्रभावी है, ताकि बाल अपराधियों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो तथा उनके द्वारा किए गए अपराधों की सजा ऐसी न हो जो उनका जीवन खराब करे।

एक धोती और अनमोल सीख

संत कबीर को कभी किसी पर क्रोध नहीं आता था और यह बात दूर-दूर तक प्रचलित थी। एक बार बिगड़ैल किस्म के कुछ युवाओं को शरात सूझी, जिनमें से एक लड़का तो बहुत धनी परिवार से था। सारे युवक कुछ योजना बनाकर कबीर को परेशान करने के इरादे से उनके पास पहुंचे ताकि वे अपनी हरकतों से कबीर को परेशान कर उन्हें गुस्सा दिला सकें। युवकों ने वहां पहुंचकर कबीर से एक धोती की इशारा करते हुए कहा कि यह धोती तुम कितने की दोगे? कबीर ने उत्तर दिया, ‘10 रुपये की।’ धन-दौलत के घमंड में चूर युवक ने कबीर को परेशान करने के उद्देश्य से धोती के दो टुकड़े कर दिये और फिर धोती का एक टुकड़ा अपने हाथ में लेकर पूछा, मुझे पूरी धोती नहीं चाहिए बल्कि आधी हो चाहिए, यह बताओ, तुम कितने की दोगे? कबीर ने शांतिपूर्वक कहा कि यह आधी धोती 5 रुपये की है। लड़कें ने धोती के उस टुकड़े को भी दो हिस्सों में बांट दिया और फिर पूछा कि अब इसकी क्या कीमत है? कबीर अभी भी पूरी तरह से शांत थे और शांतिपूर्वक ही उन्होंने जवाब दिया, ढाई रुपये। बिगड़ैल लड़का इसी प्रकार धोती के टुकड़े करता गया और धोती के ढेर सारे टुकड़े करने के बाद बोला कि अब यह धोती मुझे नहीं चाहिए, इसके ये टुकड़े मेरे किस काम के? संत कबीर ने बेहद शांत भाव से कहा कि बच्चों! धोती के ये टुकड़े तुम्हारे ही क्या, अब तो किसी के भी काम के नहीं रहे। इतना कुछ घटित होने पर भी शांतचित्त कबीर के मुख से निकले ये शब्द उस लड़के को शर्मिन्दगी का अहसास कराने के लिए काफी थे। शर्मसार स्थिति में लड़का कहने लगा कि मैंने आपका काफी नुकसान किया है, इसलिए मैं इस धोती का दाम आपको दे देता हूं। कबीर ने कहा कि जब आप लोगों ने धोती ली ही नहीं है तो मैं आपसे पैसे आखिर किस चीज के लूं? इस पर लड़कें ने अपनी अमीरी का रौब दिखाते हुए कहा कि तुम नहीं जानते कि मैं कितना अमीर हूं और वैसे भी तुम ठहरे गरीब, इस धोती



टुकड़े करने के बाद बोला कि अब यह धोती मुझे नहीं चाहिए, इसके ये टुकड़े मेरे किस काम के? संत कबीर ने बेहद शांत भाव से कहा कि बच्चों! धोती के ये टुकड़े तुम्हारे ही क्या, अब तो किसी के भी काम के नहीं रहे। इतना कुछ घटित होने पर भी शांतचित्त कबीर के मुख से निकले ये शब्द उस लड़के को शर्मिन्दगी का अहसास कराने के लिए काफी थे। शर्मसार स्थिति में लड़का कहने लगा कि मैंने आपका काफी नुकसान किया है, इसलिए मैं इस धोती का दाम आपको दे देता हूं। कबीर ने कहा कि जब आप लोगों ने धोती ली ही नहीं है तो मैं आपसे पैसे आखिर किस चीज के लूं? इस पर लड़कें ने अपनी अमीरी का रौब दिखाते हुए कहा कि तुम नहीं जानते कि मैं कितना अमीर हूं और वैसे भी तुम ठहरे गरीब, इस धोती

का दाम चुकाने पर मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन तुम इसका घाटा कैसे सहोगे? वैसे भी तुम्हारा नुकसान मैंने किया है तो इसका घाटा भी मुझे ही पूरा करना चाहिए। संत कबीर ने मुस्कराते हुए कहा कि बेटा, तुम यह घाटा पूरा कर ही नहीं सकते। जाग सोचकर देखो कि इस धोती को बनाने में किसान का कितना श्रम लगा, तब जाकर कपास पैदा हुई। फिर मेरी पत्नी ने अपनी मेहनत से उस कपास को बुना और सूत काता। उसके बाद मैंने उसे रंगा और बुना। इतनी मेहनत तभी सफल होती, जब कोई इसे पहनता और इसका उपयोग करते हुए इससे लाभ उठाता लेकिन तुमने तो इसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। तुम्हारे दिए गए 10 रुपये से इस मेहनत का घाटा भला कैसे पूरा होगा? उनकी आवाज में अभी भी क्रोध अथवा आक्रोश के स्थान पर विनम्रता, दया और सौम्यता के भाव थे। अब तो संत कबीर को परेशान करने के लिए भद्दी शरात करने वाला धनी परिवार का वह लड़का शर्म से पानी-पानी हो गया। उसकी आंखें भर आईं और वह संत कबीर के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना करने लगा। कबीर ने बड़े प्यार से उसे उठाया और उसकी पीठ पर हाथ फिराते हुए कहा कि बेटा, यदि मैं तुमसे इस धोती की कीमत ले लेता तो इन पैसें से मेरा काम तो चल जाता लेकिन इससे तुम्हारी जिंदगी का वैसा ही हाल होता जो इस धोती का हुआ। धोती एक नष्ट हो गई तो मैं दूसरी बना लूंगा लेकिन तुम्हारी जिंदगी यदि ऐसे ही अहंकार में नष्ट हो गई तो दूसरी बेहतर जिंदगी तुम कहां से लाओगे? मेरे लिए तुम्हारा पश्चाताप ही इस धोती से भी कीमती है। संत की कबीर की इस सीख ने उस बिगड़ैल युवक के जीवन की दिशा ही बदल दी। ऐसे थे महान संत कबीर दास जी।

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, आस्था पर राजनीति क्यों ?

दुहाई दी थी? क्या उस समय उन्होंने संसद का कामकाज रोका था? जवाब है, नहीं। अन्य मंदिरों की चोरी पर विपक्ष की जो 'गहरी खामोशी' रही, उसकी तुलना में राम मंदिर की चोरी पर किया गया यह 'अति-उत्साह' और शोर, उनकी नियत पर सवाल खड़ा करता है। यह चुनिंदा शोर इसलिए नहीं है कि राम मंदिर में चोरी हुई है, बल्कि इसलिए है क्योंकि यह राम मंदिर वहां बना है, जहां इसे लेकर दशकों से चली आ रही आस्था की लहर की जीत हुई है। विपक्ष यह भूल गया है कि आज जिस राम मंदिर की सुरक्षा और पवित्रता का उन्हें अचानक रोना आ रहा है, उसी मंदिर के निर्माण के खिलाफ वे कभी सबसे आगे खड़े थे। इतिहास इतना भी पुराना नहीं है कि विपक्षी दलों और उनके नेताओं के बयानों को भुलाया जा सके। वे लोग, जो कभी भगवान राम को 'काल्पनिक' बताते थे, जो राम मंदिर निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, और जिन्होंने मंदिर निर्माण रोकने के लिए हर संभव कानूनी और राजनीतिक दांवपेंच खेले थे, आज अचानक राम मंदिर के सबसे बड़े रक्षक कैसे बन गए? जो लोग कभी मंदिर के अस्तित्व को ही मानने को तैयार नहीं थे, आज मंदिर में चोरी होने पर आस्था के सौदागर बनकर देश को ज्ञान



भारत के निर्माण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नौव रखी। विपक्ष इस बात को पचा नहीं पा रहा है कि भाजपा के शासनकाल में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐसा ऐतिहासिक कार्य पूरा हुआ, जिसने भारत की सभ्यता को नई पहचान दी है। चूंकि विपक्ष के पास न तो कोई विकास का एजेंडा है और न ही जनता के बीच

कोई स्वीकार्य चेहरा, इसलिए वे हर उस मुद्दे को भगवान बनाकर राजनीति करते हैं, जहां भाजपा की छवि को धूमिल किया जा सके। अयोध्या राम मंदिर आज केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह देश-दुनिया में भारतीय आस्था और संस्कृति की पहचान बन चुका है। आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना रहा है। बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु और पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। विपक्ष जानबूझकर इस चोरी की घटना को इतना तूल दे रहा है ताकि देश और दुनिया के सामने राम मंदिर की छवि को धूमिल किया जा सके। वे चाहते हैं कि श्रद्धालुओं के मन में मंदिर प्रशासन और वर्तमान सरकार के प्रति संदेह की भावना पैदा हो। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे ही जगह, जो आज वैश्विक पटल पर भारत की 'सॉफ्ट पावर' और आस्था का प्रतीक है, उसे राजनीतिक रोटी लेंकने का जरिया बनाया जा रहा है। विपक्ष की यह मानसिकता दर्शाती है कि उनके लिए आस्था कोई मायने नहीं रखती, उनका एकमात्र लक्ष्य सत्ता पक्ष को बदनाम करना है। वे राम को नहीं, बल्कि राम के माध्यम से नरेंद्र मोदी को निशाना बना रहे हैं। लेकिन विपक्ष को यह समझना होगा कि राम किसी एक पार्टी या विचारधारा के मोहताज नहीं हैं। राम करोड़ों

भारतीयों के हृदय में बसते हैं, और जनता इस शुद्ध राजनीति को अच्छी तरह से समझ रही है। चोरी के आरोपियों को कानून सजा देगा, इसमें कोई दोराय नहीं है। मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन को भी चाहिए कि वे सुरक्षा व्यवस्था में चूक को सुधारें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। लेकिन जिस विपक्ष ने आज मंदिर की चोरी पर इतना हल्ला बोला है, उसे सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्हें याद करना चाहिए कि जब मंदिर निर्माण के लिए पत्थर तराशे जा रहे थे, तब उनकी सोच कहां थी? जब श्रद्धालुओं ने दशकों तक संघर्ष किया, तब उनका साथ कौन दे रहा था? आज वही लोग, जो कभी राम मंदिर आंदोलन को सांप्रदायिक रंग देते थे, आज मंदिर की पवित्रता की दुहाई दे रहे हैं। यह नैतिकता का कितना बड़ा पतन है, इसका अंदाजा आम नागरिक आसानी से लगा सकता है। अंततः, सत्य और आस्था की जीत हमेशा होती है। राम मंदिर अपनी गरिमा और भव्यता के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। चोरी की यह घटना एक आपराधिक घटना है, जिसे कानून सुलझा लेगा। लेकिन विपक्ष जिस राजनीतिक कालिख को आस्था के इस दीपक पर पोतने का प्रयास कर रहा है, वह उसकी अपनी राजनीतिक छवि को हमेशा के लिए दागदार कर देगी। विपक्ष को समझना होगा कि आस्था का अपमान और धर्म का सियासीकरण देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। राम मंदिर की छवि धूमिल करने का यह कुत्सित प्रयास उल्टा विपक्ष के अपने चेहरे पर लगी कालिख को ही उजागर कर रहा है। समय आ गया है कि विपक्ष अपने इस दोहरे चरित्र और गिरी हुई राजनीति से बाहर निकले, अन्यथा इतिहास उन्हें उसी जगह याद रखेगा, जहां वह कभी राम को 'काल्पनिक' बताकर खड़े थे। कानून दोषियों को दंड देगा, लेकिन जनता का न्यायालय विपक्ष की इस गिरी हुई मानसिकता को पहले ही दंडित कर चुका है।

संक्षिप्त समाचार

घोड़ाडोंगरी में कृषि आदान प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण

अनाधिकृत उर्वरक एवं जैविक खाद जप्त, एफआईआर की कार्रवाई



बैतूल (निग्र)। कलेक्टर बैतूल डॉ सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशानुसार एवं उप संचालक कृषि श्री आर. जी. रजक के मार्गदर्शन एवं समक्ष में दिनांक 26 जून 2026 को जिला स्तरीय उर्वरक निरीक्षण दल द्वारा विकासखंड घोड़ाडोंगरी अंतर्गत कृषि आदान प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मेसर्स काका बीज भंडार, बागडोना के प्रोपराइटर श्री बजरंग लाल अग्रवाल के स्वयं के अनाधिकृत गोदाम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में गोदाम में मैसर्स मोनि मिनविल्स एंड ग्राइंडर्स (यूनिट-2), औद्योगिक क्षेत्र, मेघनगर (झाबुआ) द्वारा निर्मित एन.पी.के. 20:20:10 उर्वरक की 16 बोरी एवं NPK 12:32:06 उर्वरक की 05 बोरी कुल 21 बोरियां तथा मैसर्स मॉडर्न एग्रो जेनेटिक्स लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर-3, पीथमपुर (धार) द्वारा निर्मित उजाला बायो ऑर्गेनिक मैथेयोर की 44 बालिटियां बिना अनुज्ञति में दर्ज कराए अनाधिकृत रूप से भंडारित एवं विक्रय हेतु रखी हुई पाई गई। उक्त सामग्री पर दर्ज MRP अनुसार कुल राशि 108000 है कि जबकी की गई है। उक्त उर्वरकों एवं जैविक खाद के विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाते हुए सामग्री को जप्त कर सहकारी समिति, सारनी की सुपुर्दगी में रखा गया। साथ ही संबंधित उर्वरकों के नमूने लेकर गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजने की कार्रवाई की गई। उप संचालक कृषि श्री आर. जी. रजक ने बताया कि प्रयोगशाला से परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया पाई गई अनियमितताओं के आधार पर संबंधित उर्वरक विक्रेता फर्म के प्रोपराइटर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों की सुरक्षा एवं गुणवत्तायुक्त सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में कृषि आदान प्रतिष्ठानों में निरंतर कार्यवाही जारी रहेगी।

विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन

हरदा (निग्र)। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशन एवं प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष, अरविंद धुववंशी के मार्गदर्शन में दिनांक गुरुवार को नेशनल स्किल कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट, हरदा में 'अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य सेवन और अवैध तस्करी विरोधी दिवस' के उपलक्ष्य में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित न्यायाधीश/सचिव महोदय, चंद्रशेखर राठौर द्वारा "नालसा डॉन स्कीम 2025" की जानकारी देते हुए बताया गया कि यह योजना राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा द्वारा नशा उन्मूलन हेतु शुरू की गई एक पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य, विशेष रूप से समाज, युवाओं और छात्रों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से होने वाले मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और कानूनी परिणामों के बारे में शिक्षित करना है। युवा व किशोरों में नशीले पदार्थों के उपयोग के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाना और नशे के शिकार लोगों को कानूनी सहायता और कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करना है। उन्होंने नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के उपबंधों की जानकारी देते हुए बताया गया कि उक्त योजना के अंतर्गत ड्रग्स तस्करी एवं ड्रग्स पीड़ितों को जिला प्राधिकरण के द्वारा आवश्यक विधिक सेवा उपलब्ध करायी जाती है। योजना के तहत ड्रग्स पीड़ितों को पहचानने, उनका उपचार करने तथा नशा मुक्ति के पश्चात उनके पुनर्वास में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं को गतिमान कराया जाता है। साथ ही नशा मुक्ति के लिए राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14446, चाइल्ड हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1098 एवं सायबर अपराध हेल्पलाइन टोलफ्री नंबर 1930 की जानकारी प्रदान की गई। उक्त शिविर में उपस्थित जिला विधिक सहायता अधिकारी सौरभ कुमार दुबे द्वारा शिविर में उपस्थित छात्र/छात्राओं को नालसा/नालसा की चल रही विभिन्न योजनाओं- बच्चों के लिए मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना 2024, मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015, नालसा लैंगिक हमलों व अन्य अपराधों की पीड़िताओं सर्वाईवर्स महिलाओं के लिए प्रतिकर योजना 2018, की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही उनके द्वारा नालसा डॉन योजना, 2025 के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि बच्चों को मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए एवं नशे की लत से दूर रहना चाहिए। साथ ही उनके द्वारा बच्चों को पढ़ाई के प्रति अभिप्रेरित करके उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इसी क्रम में बताया गया कि कोई भी पात्र व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा या अन्य विधिक सेवा संस्थान में उपस्थित होकर, पत्र के माध्यम से, नालसा पोर्टल पर शिकायत दर्ज करारक, नालसा हेल्पलाइन टोलफ्री नंबर-15100 पर कॉल कर, विधिक सहायता/सलाह आसानी से प्राप्त कर सकता है। उक्त शिविर में कोचिंग संचालक श्री नवीन राठौर, विद्यार्थीगण तथा पैरालीगल वॉलेंटियर रेखा विश्‌नोई उपस्थित रहे।

■ निरीक्षण के दौरान जिले में संचालित विभिन्न विनिर्माण एवं उत्पादन इकाइयों का अवलोकन करते हुए संबंधित संचालकों से चर्चा की

कलेक्टर गुप्ता ने औद्योगिक इकाइयों का किया निरीक्षण, उत्पादन एवं रोजगार बढ़ाने पर दिया जोर



विदिशा (निग्र)। विदिशा जिले में औद्योगिक विकास को गति देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि के उद्देश्य से कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण कर उनकी कार्यप्रणाली का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने इकाइयों की उत्पादन क्षमता, मशीनरी, कच्चे माल की उपलब्धता, तैयार उत्पादों के विपणन तथा रोजगार सृजन की स्थिति की विस्तार से जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने जिले में संचालित विभिन्न विनिर्माण एवं उत्पादन इकाइयों का अवलोकन करते हुए संबंधित संचालकों से चर्चा की। उन्होंने यह जाना कि इकाइयों में किस प्रकार की मशीनों का उपयोग

किया जा रहा है, उत्पादन प्रक्रिया किस प्रकार संचालित होती है तथा तैयार उत्पादों का विक्रय स्थानीय बाजारों के साथ-साथ अन्य जिलों एवं राज्यों में किस प्रकार किया जा रहा है। कलेक्टर श्री गुप्ता ने उद्योग संचालकों को निर्देशित किया कि उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयां जिले की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार हैं और इनके विस्तार से स्वरोजगार एवं रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। निरीक्षण के दौरान जिले में संचालित कई इकाइयों की गतिविधियों की समीक्षा की गई, जिनमें बायो कोल, एम-सैंड, फ्लोर मिल, प्लास्टिक उत्पाद, दाल प्रसंस्करण,

सोलर स्ट्रक्चर, सीडिंग ऑफ वेसल, आइसक्रीम निर्माण तथा बायोगैस ब्रिकेट्स निर्माण जैसी उत्पादन गतिविधियां शामिल हैं। कलेक्टर ने इकाइयों में उपलब्ध संसाधनों, निवेश, रोजगार की स्थिति एवं उत्पादन क्षमता का भी अवलोकन किया। उन्होंने उद्योग संचालकों को शासन की औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने, उत्पादन में गुणवत्ता बनाए रखने तथा आधुनिक तकनीकों को अपनाकर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने की सलाह दी। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्योगों की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए ताकि जिले में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिल सके। कलेक्टर ने कहा कि जिले में स्थापित औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने, उत्पादन बढ़ाने तथा आर्थिक गतिविधियों को मजबूत बनाने की दिशा में सतत प्रयास किए जाएंगे। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने औद्योगिक इकाइयों को सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करने की सलाह दी ताकि बिजली की बचत के संदर्भ में औद्योगिक क्षेत्र अपने-अपने ख्याति अर्जित कर सके। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग हेतु शासन द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सुविधाओं को भी रेखांकित किया है। निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी एवं उद्योग प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री गुप्ता ने आज भ्रमण के दौरान जम्बार बागरी, सहित शहर में विभिन्न क्षेत्रों में संचालित औद्योगिक इकाइयों का मौके पर जायजा लिया है।

विशाल जनजागरूकता रैली निकालकर दिया नशामुक्ति का संदेश

हस्ताक्षर अभियान में हस्ताक्षर कर लिया गया नशा मुक्त भारत बनाने का संकल्प

सीहोर (निग्र)। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा अंतरराष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी निरोधक दिवस के अवसर पर 'नशा मुक्त भारत अभियान' अंतर्गत सीहोर में जनजागरूकता रैली एवं जागरूकता सभा का आयोजन किया गया। यह जनजागरूकता रैली आवासीय खेलकूद संस्थान से प्रारंभ हुई और पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में रैली का समापन हुआ। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बताया गया कि 'नशा मुक्त भारत अभियान' का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर युवाओं को नशे की लत से दूर कर स्वस्थ, सुरक्षित एवं सशक्त समाज का निर्माण करना है। नशे के विरुद्ध जनभागीदारी ही इस अभियान की सबसे बड़ी शक्ति है। इस अवसर पर अतिथियों ने हस्ताक्षर अभियान में भाग लेकर सभी को नशामुक्ति का संकल्प दिलाया और सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ली। कार्यक्रम में नशा मुक्त भारत



अभियान अंतर्गत 17 जून से 26 जून 2026 तक आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं गतिविधियों के विजेताओं को सम्मानित किया गया। अभियान के दौरान मिनी मैराथन, नुक्कड़ नाटक, रंगोली, स्लोगन लेखन, निबंध लेखन, चित्रकला, हस्ताक्षर अभियान, सेल्फी पॉइंट सहित अनेक जनजागरूकता गतिविधियां जिले की शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं में आयोजित की गई थीं।

रैली में ऑक्सफोर्ड स्कूल बैंड द्वारा आकर्षक एवं प्रेरणादायी प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में समाजसेवी श्रीमती अरुणा सुदेश राय, श्री सुदीप प्रजापति, आवासीय प्राचार्य श्री आलोक शर्मा श्री अंकुर शर्मा, सुश्री ओम शांति, सहायक संचालक श्री महेश यादव सहित विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए।

ग्रामीण नल जल योजनाओं के संचालन, संधारण

एवं प्रबंधन के लिए गठित होंगी जल समितियां

►►ग्राम पंचायत स्तर पर होगा जल समितियों का गठन, ग्रामीणों की भागीदारी से होगा योजनाओं का संचालन

सीहोर (निग्र)। ग्रामीण नल जल योजनाओं के संचालन, संधारण एवं प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत जल समितियां गठित की जाएंगी। ग्राम पंचायतों में जल आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने और योजनाओं के सुचारु संचालन के उद्देश्य से इन समितियों का गठन किया जाएगा। नियमों के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की अनुशंसा एवं पंचायत की स्वीकृति के आधार पर जल समिति का गठन किया जाएगा। पेसा अधिनियम, 1996 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की अनुशंसा के आधार पर समिति गठित होगी।

यदि किसी ग्राम पंचायत में पूर्व से नल जल योजना के संचालन एवं संधारण के लिए कोई समिति गठित है, तो उसका पुनर्गठन नए नियमों के अनुसार किया जाएगा। समिति गठन का आदेश पंचायत सचिव द्वारा जारी किया जाएगा।

जल समिति में सरपंच पदेन अध्यक्ष होंगे, जबकि पंचायत सचिव समिति के पदेन सचिव रहेंगे। ग्राम रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा कार्यकर्ता समिति के पदेन सदस्य होंगे। समिति में नामांकित सदस्यों की संख्या अधिकतम 20 होगी। ग्राम पंचायत के



प्रत्येक वार्ड से एक व्यक्ति को समिति में सदस्य बनाया जाएगा, जो संबंधित उपभोक्ता परिवार से होना आवश्यक होगा। कार्यवाई में ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी 25 प्रतिशत रहेगी।

जल समिति में महिलाओं को न्यूनतम 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिनिधियों का चयन ग्राम पंचायत की जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा।

लगातार तीन बैठकों में बिना उचित कारण एवं सूचना के अनुपस्थित रहने वाले सदस्य को सदस्यता समाप्त की जा सकेगी। ऐसे सदस्य के स्थान पर नियमानुसार नए सदस्य के नामांकन की अनुशंसा ग्राम पंचायत को की जाएगी। जल समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल योजनाओं की निगरानी, संचालन और संधारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, जिससे ग्रामीणों को नियमित एवं बेहतर पेयजल सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

खरी फाटक रोड स्थित न्यू स्टार गैस रिपेयरिंग दुकान पर आकस्मिक जांच

घरेलू गैस सिलेंडर एवं उपकरण जप्त

विदिशा (निग्र)। तहसीलदार एवं संबंधित विभागीय टीम द्वारा खरी फाटक रोड स्थित काली मस्जिद के पास संचालित न्यू स्टार गैस रिपेयरिंग दुकान पर आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान दुकान संचालक श्री जलील मौके पर उपस्थित मिले और उनके समक्ष संपूर्ण कार्रवाई की गई।

निरीक्षण के दौरान दुकान परिसर में एक घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर तथा गैस संबंधी कार्यों में उपयोग होने वाला पीतल का नोजल पाया गया। मौके पर लिए गए कथनों में दुकान संचालक ने बताया कि वह लगभग 10 वर्षों से उक्त दुकान का



संचालन कर रहे हैं तथा गैस स्टोव की मरम्मत, प्रेशर संबंधी सुधार कार्य और बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस भरने का कार्य भी

किया जाता है। जांच टीम द्वारा मौके पर उपलब्ध सामग्री का परीक्षण किया गया। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने घरेलू गैस सिलेंडर

एवं पीतल के नोजल को नियमानुसार जप्त करते हुए जसी पंचनामा तैयार किया। कार्रवाई के दौरान आवश्यक दस्तावेजों की भी जांच की गई तथा दुकान संचालक द्वारा दो गैस पास पुस्तिकाएं प्रस्तुत की गई। सम्पूर्ण कार्रवाई का पंचनामा तैयार कर संबंधित अभिलेखों में दर्ज किया गया है। प्रशासन द्वारा गैस सुरक्षा मानकों एवं एलपीजी के नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस प्रकार की जांच एवं निरीक्षण अभियान निरंतर जारी रखने की बात कही गई है। प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि

एक घरेलू गैस सिलेंडर व पीतल का नोजल जप्त कर बनाया पंचनामा

तहसीलदार श्री अजय पाठक एवं नायब तहसीलदार श्री अजय वर्मा एवं फूड विभाग की संयुक्त टीम द्वारा विदिशा नगर में न्यू स्टार गैस रिपेयरिंग दुकान का आकस्मिक निरीक्षण कर दुकान संचालक जमील के पास से एक घरेलू गैस सिलेंडर व पीतल का नोजल जमा की कार्रवाई करते हुए सुपुर्द करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही निरीक्षण उपरांत पंचनामा भी बनाया गया है। जांच अधिकारियों द्वारा बताया गया कि एक नग घरेलू गैस सिलेंडर राशि रुपये 2200 एवं 20 रुपये तथा एक नग पीतल का नोजल राशि रुपये 100 इस प्रकार कुल 2320 रुपए की सामग्री जप्त कर सुपुर्दगी की कार्रवाई की गई है।

घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग केवल निर्धारित घरेलू कार्यों के लिए करें तथा किसी भी प्रकार की अवैध गैस रिफिलिंग या अनधिकृत

गतिविधि की जानकारी संबंधित विभाग को दें, जिससे दुर्घटनाओं एवं सुरक्षा संबंधी जोखिमों को रोका जा सके।

राइट विलक



अजय बोकिल

लेखक सुबह सवरे के
कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।
संपर्क-
9893699939
ajaybokil@gmail.com

असल चुनौती राम भक्तों के ‘ट्रस्ट’ को फिर से बहाल करने की है..

राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में अंततः मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, एक और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा को राम भक्तों के दबाव में पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि इस इस्तीफे के पीछे किसी परचाताप अथवा नैतिक अपराध का भाव नहीं दिखाई देता। इस बीच यूपी सरकार ने एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर राम मंदिर चढ़ावा राशि गणना से जुड़े 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें कोर्ट ने जेल भेज दिया है। लेकिन इस समूचे कांड के ‘सरगनाओं’ के खिलाफ किसी कार्रवाई की कोई संभावना अभी नहीं दिख रही है। हालांकि कहा यही जा रहा है कि ‘किसी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा।’ हैरानी की बात यह भी है कि इतना कांड होने और दो ट्रस्टियों के इस्तीफे के बाद ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी का पहली बार लिखित बयान आया है कि इस्तीफे मिल गए हैं और ट्रस्ट का सोने चांदी का हिसाब काफी कुछ ठीक है, जिन्होंने गड़बड़ी की है, उन्हें दंड दिया जाएगा। गोविंद गिरी अब तक चुप क्यों थे, यह भी जांच का विषय है। दरअसल इस पूरे प्रकरण में सरकार, रामजन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट, विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर प्रबंधन की अगिन परीक्षा राम मंदिर में करोड़ों राम भक्तों का ‘ट्रस्ट’ कायम रखने की है। अगर दिखावे के लिए शक के घेरे में रहे चंपत राय, डॉ. अनिल मिश्रा और गोपाल राव को उनके ‘तपस्वी जीवन’ का हवाला देकर छोड़ दिया गया तो सरकार और मंदिर प्रबंधन की मंशा पर ही सवाल खड़े होंगे। विपक्ष तो इसे राजनीतिक रूप से भुनाएगा ही, मंदिर पर से राम भक्तों का भरोसा अगर उठ गया तो वो फिर वापस लाना लगभग असंभव होगा। क्योंकि आरोपों के जो जवाब दिए जा रहे हैं, वह राजनीतिक ज्यादा हैं, बजाए राजधर्म का पालन सुनिश्चित करने के।

इस पूरे चढ़ावा चोरी कांड की टाइम लाइन को देखें तो शुरू से लेकर अब नरेटिव लगातार बदलते दिख रहे हैं। पहले तो यह साबित करने की कोशिश हुई कि कहीं कुछ हुआ ही

है। जिनका राम में ही भरोसा नहीं है, वो चढ़ावा चोरी की बात फैला रहे हैं। जब गड़बड़ी के सबूत मिलने लगे तो कहा गया कि कुछ छोटे कर्मचारियों की ‘गलती’ को बड़े और नियोक्ता पदाधिकारियों की निष्ठा से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। या यूं कहें कि ऐसी गड़बड़ियों को लेकर शक करना भी अपने हिंदू होने पर ही संदेह करने जैसा है। जब एसआईटी ने चढ़ावा चोरी और चोरों की बदलती माली हैसियत के प्रमाण दिए तो कहा गया कि ‘कुछ’ लोग गड़बड़ हो सकते हैं। इसके लिए ट्रस्टियों को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। फिर कहा गया कि जैसे ही गड़बड़ी का पता चला (जोकि सवा साल से बेखौफ चल रही थी, और जिसके तीन माह के फुटेज भी मिल गए) ट्रस्टियों ने खुद एसआईटी बनाने के लिए कहा। चढ़ावा चोरी की अवधि और एसआईटी गठन की मांग के दर्मियान यह खेल सवा साल तक क्यों, किसने और कैसे चलने दिया, यह असली जांच और दंड का मुद्दा है। जब यह भी साफ होने लगा कि 14 सदस्यीय ट्रस्ट को वास्तव में दो-तीन लोग ही चला रहे थे, बाकी ट्रस्टी को केवल मूक दर्शक थे, तो कहा जा रहा है कि ट्रस्ट को भंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दो के इस्तीफे हुए हैं, उनकी जगह नए चेहरे बिठा दिए जाएं। दूसरी तरफ जन दबाव लगातार बन रहा है कि कार्रवाई की पूर्णाहुति तभी समझी जाएगी, जब इस भारी घोटाले के लिए नैतिक और प्रशासनिक रूप से जिम्मेदार लोगों को सजा नहीं होली। क्योंकि इन लोगों उन राम भक्तों का विश्वास तोड़ा है, जो न किसी राजनीतिक, सांस्कृतिक अथवा सामाजिक संगठन में हैं।

तर्क यह भी दिया जा रहा है कि चंपत राय जैसे लोग तपस्वी हैं। उनकी एक (महा) ‘त्रुटि’ उनके जीवन को कलंकित नहीं कर सकती। लेकिन ऐसी ‘लापरवाह तपस्विता’ किस काम की, जब मामला करोड़ों राम भक्तों की निश्छल आस्था से जुड़ा हो। जो खेल उनकी नाक के नीचे सवा साल से चल रहा था, उसकी जानकारी ट्रस्ट के महासचिव को न हो, इस पर तो कोई परम मूर्ख ही भरोसा कर सकता है। अगर उन्हें जानकारी

थी तो तत्काल कार्रवाई में कौन सी बाधा थी? क्यों पुलिस में उसकी रिपोर्ट नहीं हुई, क्यों चोरों को तत्काल मंदिर से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया गया, क्यों खजाने की चाबियां एक ट्रस्टी के ड्राइवर के भरोसे थीं, इस सवालों के जवाब तो हर राम भक्त हिंदू पूछ रहा है। सवाल यह भी है कि जिम्मेदार पद पर तैनात कोई अपने अधीनस्थों पर अंधविश्वास कैसे कर सकता है? या तो उसने तपस्वी की माफिक आंखें मूंद ली हों या फिर खुद राम भक्ति में इतना लीन हो गया हो कि भीतर क्या चल रहा है, इससे कोई सरोकार न हो। हो सकता है कि आरोपी ट्रस्टियों ने चढ़ावे की पाई भी न ली हो, लेकिन चोरों को चोरी करने देते रहने की नैतिक जिम्मेदारी से कैसे बचेंगे? यह तो आपराधिक लापरवाही है और दंडनीय है।

ज्यों-ज्यों जांच और कार्रवाई आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे यह नरेटिव कमजोर पड़ता जा रहा है कि हिंदू मंदिरों के प्रबंधन में सरकार का कोई दखल नहीं होना चाहिए। एक सुझाव यह भी है कि राम मंदिर ट्रस्ट को भंग कर जम्मू- कश्मीर के ‘श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड’ की तर्ज पर नया राम मंदिर ट्रस्ट बनाया जाए, जिसमें राज्यपाल ही पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा कुछ धर्माचार्य, हिंदू समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों के जानकारी रिटायर्ड अधिकारी होते हैं। ट्रस्ट के संचालन और मंदिर प्रबंधन का संपूर्ण दायित्व सीईओ का होता है। कुछ सुझाव उन मंदिरों के ट्रस्ट अथवा प्रबंधन के भी हैं, जहां मंदिर प्रबंधन बेहतर ढंग से और भक्तों की आस्था के अनुरूप किया जा रहा है। अब देखना यह है कि केन्द्र और राज्य सरकार राम मंदिर ट्रस्ट के बारे में क्या फैसला लेती है। मंदिर प्रबंधन के लिए सीईओ की नियुक्ति की बात तो लगभग सभी मान रहे हैं। लेकिन ‘चढ़ावा चोरी’ के लिए जिम्मेदार एक और घटक यानी बैंक की भूमिका पर ज्यादा बात नहीं हो रही है। चढ़ावा राशि की गणना और हिसाब में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी अहम भूमिका है। लेकिन उसने अभी तक अपने कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई की हो, यह सुनने में नहीं आया। लेकिन इस प्रकरण में तो बैंक

कमी ही शामिल दिखाई देते हैं।

इस घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण कोण राजनीतिक है। श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड ने विपक्ष को बैट-बिठाए मोदी योगी सरकार, भाजपा, संघ और विहिप को घेरने का एक ऐसा मुद्दा दे दिया है, जिसकी गूंज राम भक्तों के हृदय तक हो रही है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर चढ़ावा चोरी कांड में निष्पक्ष जांच और सभी दोषियों के खिलाफ कठोर तो सभी संदेह आस्था के कठघरे में खड़े दिखाई देंगे। राम भक्तों के बीच यही संदेश जाएगा कि जब प्रभु श्रीराम के मंदिर में ही राम राज स्थापित नहीं हो पाया तो देश प्रदेश में कहां से आएगा? भाजपा और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों का यह जवाबी तर्क बोदा साबित होगा कि राम मंदिर को वो लोग बदनाम कर रहे हैं, जो श्रीराम मंदिर के खिलाफ रहे हैं या जो कभी रामलला के दर्शन करने गए ही नहीं। शुचिता पर उठी उंगली को यह कहकर नहीं मोड़ा जा सकता कि उंगली ही गलत आदमी की है।

इस पूरे मामले में एक सकारात्मक संकेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका को लेकर है। देर से ही सही, लेकिन जिस दिशा में कार्रवाई आगे बढ़ रही है, उससे लगता है कि वो इसे परिणति तक पहुंचाएंगे। अगर योगी यह कर सके या उन्हें करने दिया गया तो भाजपा के अंदर भी उन्हें पद से हटाने को लेकर चल रही कुश्ती के भी वो केसरी साबित होंगे। वैसे भी भाजपा ने आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पहले योगी को यूपी से हटाने की हिमाकत की तो इसकी उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। चढ़ावा चोरी कांड के दोषियों को कठोर दंड देना और राम मंदिर की व्यवस्थाओं में राम भक्तों का ट्रस्ट (विश्वास) फिर से कायम करना, योगी के लिए भी बड़ी चुनौती है। अपने पद को दांव पर लगाकर भी योगी अगर यह कर पाए तो उनकी प्रतिष्ठा राम भक्तों की नजर में कई गुना बढ़ जाएगी। देखना यह है कि अव्यवस्था के ‘चंपत राय’ पर सुव्यवस्था के ‘संपत राय’ कितने भारी पड़ते हैं?

भोपाल में बच्चों को पिलाई गई दो बूंद जिंदगी की

जिलेभर में 2710 बूथ, रेलवे ने बनाए 22 विशेष केंद्र, घर-घर और ट्रेनों तक पहुंचीं टीमें

भोपाल। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत रविवार (28 जून) को जिलेभर में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। भोपाल जिले में करीब 3.32 लाख बच्चों को पोलियो रोधी खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 2710 बूथ बनाए गए हैं। वहीं पश्चिम मध्य रेल के भोपाल मंडल ने भी 28 से 30 जून तक विशेष अभियान चलाते हुए रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में 22 पोलियो बूथ एवं मोबाइल टीमें तैनात की हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, जिले में आंगनवाड़ी केंद्रों, सरकारी एवं निजी अस्पतालों के अलावा शॉपिंग मॉल, प्रमुख बाजारों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर भी पोलियो बूथ बनाए गए हैं, ताकि जिले से बाहर जाने वाले और यहां आने वाले प्रत्येक 5 वर्ष तक के बच्चे को दवा पिलाई जा सके। हाई रिस्क क्षेत्रों जैसे ईट भट्टों, क्रेशर, निर्माण स्थलों और घुमकड़ आबादी तक पहुंचने के लिए विशेष मोबाइल टीमें तैनात की गई हैं।

ये टीमें घर-घर और चिन्हित स्थानों पर पहुंचकर बच्चों को पोलियो की खुराक दे रही हैं। इधर, पश्चिम मध्य रेल के भोपाल मंडल ने भोपाल, इटारसी, बीना, गुना, गंजबासौदा सहित प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर 22 पोलियो टीकाकरण बूथ स्थापित किए हैं। साथ ही विशेष मोबाइल टीमें झेलम



एक्सप्रेस, पंजाब मेल, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, राजकोट एक्सप्रेस, कर्नाटक एक्सप्रेस, कामायनी एक्सप्रेस और मालवा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में यात्रा कर रहे 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को चलती ट्रेन में ही पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। रेलवे कालोनियों और पैसेंजर ट्रेनों में भी विशेष व्यवस्था की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीष शर्मा ने बताया कि भारत के पड़ोसी देशों

में अभी भी पोलियो के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में प्रत्येक बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाना बेहद आवश्यक है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अभियान के पहले दिन ही अपने 5 वर्ष तक के बच्चों को नजदीकी पोलियो बूथ पर ले जाकर दवा अवश्य पिलाएं। वहीं रेल प्रशासन ने भी यात्रियों और रेल कर्मचारियों से अपने बच्चों को अभियान का लाभ दिलाने की अपील की है।

5 साल तक के सभी बच्चों को पिलाई दवा

जेपी अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. कमलेश अहीरवाल ने बताया कि मध्य प्रदेश वर्ष 2014 से पोलियो मुक्त है और पूरा देश भी पोलियो मुक्त है। हालांकि इस उपलब्धि को कायम रखने के लिए जरूरी है कि 5 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के दौरान पोलियो की दो बूंद दवा अवश्य पिलाई जाए। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (एनआईडी) के तहत 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाती है। इसी अभियान के तहत अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले सभी बच्चों को भी पोलियो की दो बूंद दवा पिलाई जा रही है, ताकि पोलियो पर मिली जगहों को भरकर रहे। डॉ. कमलेश ने कहा कि पहले पोलियो का खतरा इतना अधिक था कि लगभग हर इलाके में पोलियो से प्रभावित बच्चे या दिव्यांग लोग आसानी से दिखाई दे जाते थे। लेकिन व्यापक टीकाकरण अभियान की बदौलत अब यह स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। इससे साबित हुआ है कि समय पर टीकाकरण से पोलियो और उससे होने वाली स्थायी विकलांगता को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि अब लोगों में जागरूकता काफी बढ़ गई है। अभिभावक स्वयं उत्साह के साथ अपने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने लाते हैं और बच्चे भी खुशी-खुशी इस अभियान में भाग लेते हैं।

कहीं-सुनी

रवि भोई

(लेखक पत्रिका समवेत
सृजन के प्रबंध संपादक और
स्वतंत्र पत्रकार हैं।)



मा ना जा रहा है कि जुलाई का महीना छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के लिये निर्णायक हो सकता है। 13 से 17 जुलाई तक छत्तीसगढ़ का मानसून सत्र है। इसके बाद सरकार में उलटफेर की संभावना है। कहा जा रहा है कि तब तक राष्ट्रीय टीम भी बन जाएगी और केंद्रीय मंत्रिमंडल का नया स्वरूप सामने आ जाएगा। प्रदेश के नेता एंटीकॉम्बेंसी फैक्टर को दूर करने की कवायद में लगे हैं। इसके लिए मंथन और विमर्श लगातार चल रहा है। 18 जुलाई के बाद परिदृश्य साफ होने के आसार हैं। बिजली बिल में बढ़ोतरी और खाद की कमी सरकार पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं तो कुछ भाजपा विधायकों की कार्यशैली भी बीजेपी की छवि पर असर डाल रही है। कहा जा रहा है कि संगठन और सरकार में सर्जरी कर नकारात्मक प्रभाव को खत्म करने की रणनीति बनाई जा रही है। हल्ला है कि सरकार और संगठन में बदलाव करते वक्त नई पीढ़ी को ही तत्वजो दी जाएगी। सरकार और संगठन में पुराने विधायक या नेता को स्थान मिल पाने की गुंजाइश कम बताई जा रही है।

कौन बनेगा जल संसाधन का ईएनसी ?

जल संसाधन विभाग के प्रभारी ईएनसी शंकर ठाकुर 30 जून को रियायत होने वाले हैं, ऐसे में विभाग में चर्चा चल पड़ी है कि अगला प्रभारी ईएनसी कौन होगा ? जल

साय सरकार के लिए निर्णायक होगा जुलाई का महीना

संसाधन विभाग के कोई भी मुख्य अभियंता फिलहाल ईएनसी की पात्रता नहीं रखते हैं। इस कारण सरकार को किसी एक मुख्य अभियंता को ही प्रभारी ईएनसी बनाना पड़ेगा। अभी महानदी परियोजना के मुख्य अभियंता मकसी कुजूर का नाम प्रभारी ईएनसी के लिए आगे चल रहा है, पर दौड़ में हसदेव कछर के मुख्य अभियंता जितेंद्र कुमार नेताम,हसदेव गंगा कछर के मुख्य अभियंता अनिल कुमार खलखो,महानदी गोदावरी कछर के मुख्य अभियंता सतीश कुमार टीकम और गोदावरी कछर के मुख्य अभियंता एलेक्जेंडर ग्राहम भी हैं। 30 जून को ही मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना के मुख्य अभियंता शंकर राव सोनाने भी रिटायर हो रहे हैं। सरकार को वहां भी मुख्य अभियंता की पोस्टिंग करनी पड़ेगी। विभाग में इन पांच अफसरों के अलावा कोई चीफ इंजीनियर नहीं हैं, इस वजह से कहा जा रहा किसी वरिष्ठ अधीक्षण अभियंता को मुख्य अभियंता का प्रभार दे दिया जाय। ईएनसी और एक चीफ इंजीनियर की पोस्टिंग के चलते जल संसाधन विभाग में जुलाई महीने में बड़ा बदलाव हो सकता है।

जेब भरने में लगे हैं जल संसाधन के एसई साहब

कहते हैं जल संसाधन के एक अधीक्षण अभियंता (एसई) रियायतमें के पहले जेब भरने में लगे हैं। बताते हैं साहब एक-दो महीने के भीतर ही रिटायर होने वाले हैं। जाते -जाते साहब सब कुछ समेट लेना चाहते हैं। सुनने में आ रहा है कि एसई साहब हर

फाइल और हर काम के लिए चढ़ावा चाहते हैं। एसई साहब की डिमांड से त्रस्त होकर ठेकेदारों ने तो कन्नी काट ही ली है, उनके मातहत अफसरों ने भी फाइल भेजना बंद कर दिया है। अफसर और ठेकेदार एस ई साहब के रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं। चर्चा है कि एस ई साहब विभाग के एसडीओ से अंडर गारमेंट तक भी खरीदवाने से नहीं चूकते।

मंत्री जी का दिल्ली चक्कर

कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के एक मंत्री जी पिछले एक महीने में कई बार दिल्ली का चक्कर लगा आए। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मंत्री जी सरकारी काम से दिल्ली का चक्कर लगा रहे या फिर संगठन के काम से। सुनने में आ रहा है कि अपने दिल्ली दौर में मंत्री जी एक-दो बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से भी मुलाकात की। नितिन नबीन जल्द ही अपनी टीम बनाने वाले हैं। नितिन नबीन जी छत्तीसगढ़ के प्रभारी रह चुके हैं, ऐसे में मंत्री जी पुरानी जान-पहचान के चलते राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले या फिर कोई और कारण है, यह चर्चा में है। हल्ला तो यह है कि विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल का एक सदस्य नितिन नबीन जी की टीम में जा सकते हैं। अब देखते हैं कौन राष्ट्रीय टीम में जाता है, या फिर यह केवल शिगूफा है।

कहाँ अटक गई आईपीएस की लिस्ट ?

लंबे समय से आईपीएस अफसरों की तबादला लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। आमतौर पर जून महीने में



इंदौर। वैश्विक आर्थिक सुस्ती और आईटी सेक्टर में छंटनी के दौर के बावजूद आईआईटी इंदौर ने अपने इतिहास का सबसे सफल प्लेसमेंट सीजन दर्ज किया है। पहली बार संस्थान के 11 बीटेक छात्रों को अभियान के तहत अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले सभी बच्चों को भी पोलियो की दो बूंद दवा पिलाई जा रही है, ताकि पोलियो पर मिली जगहों को भरकर रहे। डॉ. कमलेश ने कहा कि पहले पोलियो का खतरा इतना अधिक था कि लगभग हर इलाके में पोलियो से प्रभावित बच्चे या दिव्यांग लोग आसानी से दिखाई दे जाते थे। लेकिन व्यापक टीकाकरण अभियान की बदौलत अब यह स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। इससे साबित हुआ है कि समय पर टीकाकरण से पोलियो और उससे होने वाली स्थायी विकलांगता को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि अब लोगों में जागरूकता काफी बढ़ गई है। अभिभावक स्वयं उत्साह के साथ अपने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने लाते हैं और बच्चे भी खुशी-खुशी इस अभियान में भाग लेते हैं।

करते हुए डायरेक्टर प्रो. सुहास एस. जोशी ने बताया कि इस प्लेसमेंट सीजन में बीटेक छात्रों को अब तक 270 जॉब ऑफर मिले हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन (मास्टरर्स) के विद्यार्थियों को भी 108 ऑफर प्राप्त हुए हैं। चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद देश-विदेश की प्रमुख कंपनियों ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को डिग्री पूरी होने से पहले ही नौकरी के ऑफर मिल चुके हैं। शनिवार को संस्थान के 14वें दीक्षांत समारोह में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत

रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में शानदार उपलब्धियां— प्रो. जोशी ने बताया कि संस्थान के शोध कार्यों

का दायरा लगातार बढ़ा है। अब तक अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स में 10,700 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं और 280 नई तकनीकें विकसित की गई हैं। उद्योग और सरकारी संस्थानों के सहयोग से आईआईटी इंदौर अब तक 900 स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट और 730 कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट पूरे कर चुका है। संस्थान ने 275 से अधिक पेटेंट फाइल किए हैं, जिनमें से 135 को मंजूरी मिल चुकी है। इनमें अकेले पिछले एक वर्ष में 80 पेटेंट मंजूर हुए हैं।

अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं का हुआ उद्घाटन

14वें दीक्षांत समारोह के दौरान ही आईआईटी इंदौर में एएनआरएफ-पेयर सक्षम (स्ट्रेथनिंग एंड एक्सलेरेंटिंग नॉलेज, हेल्थकेयर, एडवांस्ड मैनुफैक्चरिंग एंड इनोवेशन मिशन) परियोजना के अंतर्गत स्थापित अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं का उद्घाटन प्रज्ञान इनोवेशन ट्रॉजिट प्रयोगशाला में किया गया। इन प्रयोगशालाओं का उद्घाटन नीति आयोग, भारत सरकार के सदस्य एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के पूर्व सचिव प्रोफेसर अभय करदीकर तथा आईआईटी इंदौर के शासी मंडल के अध्यक्ष, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व अध्यक्ष एवं अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के पूर्व सचिव डॉ. के. शिवन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस दौरे के दौरान, गणमान्य अतिथियों ने नवस्थापित अनुसंधान प्रयोगशालाओं का अवलोकन किया तथा संकाय सदस्यों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। उन्होंने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्थानांतरणीय अनुसंधान को सुदृढ़ करने तथा नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्वस्तरीय अनुसंधान अवसरचना विकसित करने के लिए आईआईटी इंदौर के प्रयासों की सराहना की।

आईपीएस अफसरों की एक तबादला लिस्ट आती ही है। कई जिलों में एसपी ढई-पौने तीन साल से जमे हैं। इस कारण कई जिलों के एसपी में हेरफेर की अटकलें लगाई जा रही है। सारांगढ़-बिलाइगढ़ के एसपी के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में जाने के कारण जिला खाली हो गया है। बलौदाबाजार-भाटपारा जैसा संवेदनशील जिला प्रभारी एसपी के भरोसे चल रहा है। सरकार ने आईपीएस सुंदरराज पी. के केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर जाने के कारण बद्रीनारायण मीणा को बस्तर आईजी बना दिया। बद्री मीणा पहले भी कई रेंज में आई जी रह चुके हैं। चर्चा है कि कई जिलों में समीकरण नहीं बैठ पाने के कारण एसपी की तबादला सूची लटकती है। बाजार में एसपी की पोस्टिंग के लिए रेट भी तेर रहे हैं। एक औद्योगिक जिला मुख्यालय के एसपी के लिए सात खोखा, तो एक सभागीय मुख्यालय के एसपी के लिए तीन खोखा की चर्चा गर्म है।

उमेश पटेल से राहुल की चर्चा के मायने क्या ?

कहते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खरसिया के विधायक और पूर्व मंत्री उमेश पटेल से अकेले में चर्चा की। कांग्रेस हलकों में इस चर्चा के मायने अलग-अलग निकाले जा रहे हैं। उमेश पटेल नक्सली हिंसा में शहीद नंदकुमार पटेल के पुत्र हैं। नंदकुमार पटेल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते शहीद हुए। अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के कार्यकाल को तीन साल हो गए हैं, तो नए प्रदेश अध्यक्ष की बात चल रही है। राहुल गांधी से चर्चा के बाद

प्रदेश अध्यक्ष के लिए उमेश पटेल का नाम उछलने लगा है। नेता प्रतिपक्ष के लिए भी उमेश पटेल का नाम सामने आया था, पर डॉ चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष बने। वैसे प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में पूर्व उपमुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव भी शामिल बताए जाते हैं। पर कुछ लोगों का मानना है कि नेता प्रतिपक्ष ओबीसी हैं तो कांग्रेस हाईकमान प्रदेश अध्यक्ष के लिए किसी आदिवासी नेता पर ही दांव खेलेगा।

मंत्रियों के टारगेट में तीन अफसर

कहते हैं कि कुछ मंत्रियों ने 18 जून की बैठक में तीन अफसरों को निशाने पर लिया और उनकी बात न सुनने की शिकायत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय से की। बताते हैं कि तीन अफसरों में दो आईएस और एक आईपीएस हैं। 18 जून को मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों की आकस्मिक बैठक बुलाई थी, जिसमें अजय जामवाल और पवन साय भी मौजूद थे।

कुछ कलेक्टर बदलने की हवा

कहा जा रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते में चार-पांच जिलों के कलेक्टर बदल सकते हैं। चर्चा है कि इस फेरबदल में कई बड़े जिले प्रभावित हो सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कांकेर और कुछ अन्य जिलों के कलेक्टर इमर से उधर हो सकते हैं। कलेक्टरों के साथ मंत्रालय स्तर पर भी छोटा बदलाव हो सकता है।